रजिस्ट्री सं० डी० 222 REGISTERED No. D. 222

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 4] नई दिल्ली, शनिवार, जनवरी 23, 1971/माघ 3, 1892
No. 4] NEW DELHI, SATURDAY, JANUARY 23, 1971/MAGHA 3, 1892

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

नोटिस
NOTICE

नीचे लिखे भारत के असाधारण राजपत्र 12 दिसम्बर 1970 तक प्रकाशित किये गये :—

The undermentioned Gazettes of India Extraordinary were published up to the 12 December 1970:—

Issue No.	No. and Date	Issued by	Subject
182	G.S.R. 1821, dated 22nd October, 1970	Ministry of Law	The Delimitation of Council Constituencies (Bombay) Amendment Order, 1970.
	सा०का०नि० 1821, दिनांक 22 अक्तूबर 1970	विधि मंत्रालय	परिषद् निर्वाचन-क्षेत्र परिसीमन (बम्बई) आदेश 1970.
183	G. S. R. 1822, dated 23rd October 1970	Ministry of Finance	Scheme to amend the Tax Credit Certificate (Equity Shares), Scheme 1965.
	सा०का०नि० 1822, दिनांक 23 अक्तूबर 1970	वित्त मंत्रालय	प्रतिदेय कर प्रमाण पत्र (साधारण शेयर) स्कीम 1965 में संशोधन करने की स्कीम।

Issue No.	No. & Date	Issued by	Subject
184	G. S. R. 1851, dated 25th October 1970	Ministry of Food, Agriculture, Community Development and (Co-operation)	Further amendment to the Uttar Pradesh Food-Grains (Restrictions on Border Movement) Order, 1969.
	सा०का०नि० 1861, दिनांक 26 अक्तूबर 1970	खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकारिता मंत्रालय	उत्तर प्रदेश खाद्यान्न (सीमा संचलन पर निबंधन) आदेश 1969 में और आगे संशोधन।
185	G. S. R. 1862, dated 27th October 1970	Do.	Reappointment of Shri J. A. Dave as Managing Director of the Food Corporation of India.
	सा०का०नि० 1862, दिनांक 27 अक्तूबर 1970	तदैव	श्री जे० ए० दवे को भारतीय खाद्य निगम के प्रबन्ध निदेशक के रूप में पुनः नियुक्ती।
186	G. S. R. 1863, dated 27th October 1970	Ministry of Finance	Further amendment to the Post Office Savings Certificates Rules 1960.
	सा०का०नि० 1863, दिनांक 27 अक्तूबर 1970	वित्त मंत्रालय	डाक घर बचत प्रमाणपत्र नियम 1960 में और आगे संशोधन।
187	G. S. R. 1864, dated 30th October 1970	Ministry of Home Affairs	Extension of the Assam Disturbed Areas Act, 1955 to the Union Territory of Tripura with certain modifications.
188	G. S. R. 1865, dated 30th October 1970	Do.	Constitution of a Committee consisting of the Chief Ministers of Assam and Meghalaya and one Minister each from Assam and Meghalaya for advising the two Governments on matter of common interest.
	सा०का० नि० 1865, दिनांक 30 अक्तूबर 1970	तदैव	असम और मेघालय सरकार को परामर्श देने के लिए असम और मेघालय के मुख्य मंत्री और दोनों देशों से एक-एक मंत्री लेकर एक समिति गठन।
189	G. S. R. 1866, dated 31st October 1970	Ministry of Home Affairs	The States Reorganisation (Governors' Iowa and Privileges) Amendment Order, 1970.

Issue No.	No. & Date	Issued by	Subject
190	G. S. R. 1874, dated 4th November 1970	Ministry of Food Agriculture, Community Development and Co-operation.	Further amendments in the Notification No. G. S. R. 1169, dated the 2nd July 1963 of the late Ministry of Food and Agriculture (Department of Food)
	सा०का०नि० 1874 दिनांक 4 नवम्बर 1970	खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकारिता मंत्रालय	भूतपूर्व खाद्य और कृषि मंत्रालय (खाद्य विभाग) की अधिसूचना सं० सा०का०नि० 1169, तारीख 2 जुलाई, 1963 में और आगे संशोधन ।
191	G. S. R. 1875, dated 4th November 1970.	Ministry of Finance	Further rules to amend the Baggage Rules, 1970.
	सा०का०नि० 1875, दिनांक 4 नवम्बर 1970	वित्त मंत्रालय	सामान नियम 1970 में और आगे संशोधन करने के नियम ।
192	G. S. R. 1876, dated 7th November 1970	Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation.	Service in the Food Corporation of India declared as an essential service.
	सा०का०नि० 1876, दिनांक 7 नवम्बर 1970	खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकारिता मंत्रालय	भारतीय खाद्य निगम की सेवा को आवश्यक सेवा घोषित ।
193	G. S. R. 1877, dated 7th November 1970	Do.	Prohibition of strikes in any service in the Food Corporation of India.
	सा०का०नि० 1877, दिनांक 7 नवम्बर 1970	तदैव	भारतीय खाद्य निगम की किसी भी सेवा में हड़ताल करने का प्रतिषेध ।
194	G. S. R. 1896, dated 10th November 1970.	Ministry of Finance	Exemption from duty of Customs on specified goods imported into India on a pure commercial form.
	सा०का०नि० 1896, दिनांक 10 नवम्बर 1970	वित्त मंत्रालय	ऐसे माल को सीमा शुल्क से छूट दी जाती है जो कि वाणिज्यिक रूप से शुद्ध भारत में आयात किए जाएं ।

Issue No.	No. & Date	Issued by	Subject
195	G. S. R. 1897, dated 11th November 1970.	Ministry of Petroleum and Chemical and Mines and Metals	The supply of electrical energy in the State of Tamil Nadu declared as an essential service.
	सा०का०नि० 1897, दिनांक 11 नवम्बर 1970	पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय	तामिल नाडु राज्य में विद्युत शक्ति की आवश्यक सेवा घोषित ।
	G. S. R. 1898, dated 11th November 1970.	Do.	Prohibition of strike in any Service in the State of Tamil Nadu connected with the supply of electrical energy.
	सा०का०नि० 1898, दिनांक 11 नवम्बर 1970	तदैव	तामिल नाडु राज्य के ऐसी किसी विद्युत शक्ति सेवा में हड़ताल का प्रतिषेध ।
196	G. S. R. 1899/Ess. Com/Sugarcane, dated 12th November 1970.	Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation.	Fixation of minimum price by the owners of the vacuum pan process sugar factories for sugarcane delivered at the gate of factories at any purchasing cent during the year 1970-71.
	सा०का०नि० 1899/ई०एस०एस० कोम/ईख दिनांक 12 नवम्बर 1970	खाद्य कृषि सामुदायिक विकास तथा सहकारिता मंत्रालय	ईख कारखानों के स्वामियों द्वारा उनके कारखाने के दरवाजे पर या खरीद वाले किसी केन्द्र पर 1970-71 के दौरान परिदत्त की गई ईख के लिए न्यूनतम कीमत ।
197	G. S. R. 1928, dated 19th November 1970.	Ministry of Home Affairs	Further rules to amend the Central Reserve Police Force Rules, 1955.
	सा०का०नि० 1928, दिनांक 19 नवम्बर 1970	गृह मंत्रालय	आरक्षित पुलिस बल नियम 1955 में और आगे संशोधन करने के नियम ।
198	G. S. R. 1929, dated November 1970.	Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation.	Making of the Order called the Indian Maize (Temporary use in Manufacture of Starch) Order, 1970.
	सा०का०नि० 1929, दिनांक 21 नवम्बर 1970	खाद्य कृषि सामुदायिक विकास और सहकारिता मंत्रालय	भारतीय मक्का (स्टार्च) विनिर्माण में अस्थायी उपयोग आदेश 1970 का बनवाना ।

Issue No.	No. and Date	Issued by	Subject
199	G. S. R. 1930, dated 23rd November 1970	Ministry of Food Agriculture, Community Development and Co-operation.	Reappoint of Shri Shah Nawaz Khan as the Chairman of the Board of Directors of the F. C. I. *w.e.f.* 2-12-70.
	सा०का०नि० 1930, दिनांक 23 नवम्बर 1970	खाद्य कृषि सामुदायिक विकास और सहकारिता मंत्रालय	श्री शाहनवाज खां को भारतीय खाद्य निगम के निदेशक बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में 2 दिसम्बर 1970 से पुनः नियुक्ती ।
	G. S. R. 1969, dated 24th November 1970.	Ministry of Finance	Fixation of tariff value of Rs. 125 per quintal for sugar falling under sub-item (1) of Item No. 1 of the First Schedule to the Act.
	सा०का०नि० 1969, दिनांक 24 नवम्बर 1970	वित्त मंत्रालय	अधिनियम की प्रथम अनुसूची की मद सं० 1 की उपमद (1) के अन्तर्गत आने वाली चीनी के लिए टेरिफ मूल्य 125 रु० प्रति क्विंटल नियत ।
201	G. S. R. 1970, dated 25th November 1970.	Ministry of Home Affairs	Extension of the Armed Forces (Assam and Manipur) Special Powers Act, 1958 to the Union Territory of Tripura subject to certain modifications.
202	G. S. R. 1971, dated 30th November 1970.	Do.	The Bihar and Uttar Pradesh (Inspection of Boundary Pillars) Rules, 1970.
	सा०का०नि० 1971, दिनांक 30 नवम्बर 1970	वही	बिहार और उत्तर प्रदेश (सीमा स्तभों का निरीक्षण) नियम 1970 ।
203	G. S. R. 1987, dated 3rd December 1970.	Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation	Recession of the Andhra Pradesh Coarse Grains (Export Control) Order 1965.
	सा०का०नि० 1987, दिनांक 3 दिसम्बर 1970	खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकारिता मंत्रालय	आन्ध्र प्रदेश मोटे अनाज (निर्यात नियंत्रण) आदेश 1965 का विखण्डण ।

Issue No.	No. and Date	Issued by	Subject
204	G. S. R. 1988, dated 12th December 1970	Ministry of Home Affairs.	The Assam Taxation Law (Meghalaya) Modification Order, 1970.
	सा०का०नि० 1988, दिनांक 12 दिसम्बर 1970	गृह मंत्रालय	असम कराधान विधियां (मेघालय) उपांतर आदेश 1970।

ऊपर लिखे असाधारण राजपत्रों की प्रतियां प्रकाशन प्रबन्धक, सिविल लाइन्स, दिल्ली के नाम मांगपत्र भेजने पर भेज दी जाएंगी। मांगपत्र प्रबन्धक के पास इन राजपत्रों के जारी होने की तारीख से 10 दिन के भीतर पहुंच जाने चाहिएं।

Copies of the Gazettes Extraordinary mentioned above will be supplied on indent to the Manager of Publications, Civil Lines, Delhi. Indents should be submitted so as to reach the Manager within ten days of the date of issue of these Gazettes.

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ राज्य-क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय अधिकारियों द्वारा जारी किये गये विधि के अन्तर्गत बनाये और जारी किये गये साधारण नियम (जिनमे साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)।

General Statutory Rules (including orders, bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories).

MINISTRY OF EDUCATION AND YOUTH SERVICES

(Scientific Surveys and Development Division)

(Survey II Section)

New Delhi, the 2nd January 1971

G.S.R. 100.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the National Atlas Organisation (Recruitment to Class III and Class IV posts) Rules, 1960, published with the notification of the late Ministry of Scientific Research and Cultural Affairs No. 1-50/58-SII, dated the 7th June, 1960, namely:—

1. (1) These rules may be called the National Atlas Organisation (Recruitment to Class III and Class IV posts) Amendment Rules, 1970.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. For rule 6 of the National Atlas Organisation (Recruitment to Class III and Class IV posts) Rules, 1960, the following rule shall be substituted, namely:—

"6. **Disqualification:** No person,

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to any of the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule".

[No. A-12018/3/70-SUR.II.]
S. K. SANYAL, Under Secy.

शिक्षा और युवक सेवा मंत्रालय

(सर्वेक्षण 2 अनुभाग)

नई दिल्ली, 2 जनवरी, 1971

जी० एस० आर० 100.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भूतपूर्व वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक कार्य मंत्रालय की अधिसूचना सं० 1-50158-एस० आई० आई० तारीख 7 जून, 1960 के साथ प्रकाशित राष्ट्रीय एटलस संगठन (वर्ग 3 और वर्ग 4 के पदों पर भर्ती) नियम, 1960 में और आगे संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) ये नियम राष्ट्रीय एटलस संगठन (वर्ग 3 और वर्ग 4 के पदों पर भर्ती) संशोधन नियम, 1970 कहे जा सकेंगे ।

(2) ये शासकीय राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. राष्ट्रीय एटलस संगठन (वर्ग 3 और वर्ग 4 के पदों पर भर्ती) नियम, 1960 के नियम 6 के स्थान पर निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा ; अर्थात् :—

"6. निरर्हता

वह व्यक्ति—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए, किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पदों में से किसी पर भी नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाए कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार मौजूद है तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

[सं० क-12018/3/70- सर्वे 2]

एस० के० सान्याल,
अवर सचिव, भारत सरकार ।

पोत परिवहन तथा परिवहन मंत्रालय

(परिवहन पक्ष)

वाणिज्य पोतपरिवहन

नई दिल्ली, 31 दिसम्बर 1970

सा०का०नि० 188.—कतिपय नियमों का निम्नलिखित प्रारूप, जिन्हें केन्द्रीय सरकार वाणिज्य पोतपरिवहन अधिनियम, 1958 (1958 का 44) की धारा 331 क की उपधारा (i), धारा 332 की उपधारा (5) और धारा 458 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारतीय वाणिज्य पोतपरिवहन (अनाज-वहन) नियम, 1954 को अधिक्रांत करते हुए बनाने की प्रस्थापना करती है, उक्त अधिनियम की धारा 332 की उपधारा (5) द्वारा यथोपेक्षित उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिये जिनका एतद्द्वारा प्रभावित होना संभाव्य है एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है और एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारुप पर 25-2-1971 को या इसके पश्चात् विचार किया जाएगा।

उक्त प्रारुप की बाबत किसी व्यक्ति से ऐसी विनिर्दिष्ट तारीख से पहले जो आक्षेप या सुझाव प्राप्त होंगे उन पर केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।

1 **संक्षिप्त नाम प्रारंभ और लागू होना** :—(1) ये नियम वाणिज्य पोतपरिवहन (अनाज-वहन) नियम 1970 कहे जा सकेंगे।

(2) ये तुरंत प्रवृत्त होंगे।

(3) जब तक कि अभिव्यक्त रुप से अन्यथा उपबन्धित न हो ये —

(क) सब भारतीय पोतों को,

(ख) भारतीय पोतों से भिन्न पोतों को—तब लागू होंगे जब—

(i) वे भारत के किसी पत्तन या स्थान पर या भारत के राज्यक्षेत्रीय समुद्र में अनाज से लादे जाते हों, या

(ii) वे अनाज से लदे हुये भारत के किसी पत्तन या स्थान में प्रविष्ट हों या भारत राज्य-क्षेत्रीय समुद्र में आएं।

2 **परिभाषाएं** :—इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो —

(i) "अधिनियम" से वाणिज्य पोतपरिवहन अधिनियम, 1958 (1958 का 44) अभिप्रेत है,

(ii) कक्ष से फलका या स्थोरा-जगह, जो प्रत्येक सिरे पर पोत भीतों से परिबद्ध हो और जिसके ऊपर और नीचे डेक हो, अभिप्रेत है,

(iii) "संभरक" से प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं के अनुसार संन्निर्मित संभरक अभिप्रेत है,

(iv) "अनाज" के अन्तर्गत गेंहू, मक्की या मक्का, जस, राई, जौ, चावल, दालें और बीज हैं,

(v) "चल केन्द्री ऊंचाई" से अनुप्रस्थ चलकेन्द्र (M) और गुरुत्व केंद्र (G) के बीच की वह दूरी अभिप्रेत है जो टंकियों में द्रव के रिक्त स्थान प्रभावों के लिए और नियम 5 के प्रयोजनों के लिए संभरकों में अनाज के रिक्त स्थान प्रभावों के लिये शुद्धकृत है,

(vi) "अनुसूची" से इन नियमों की अनुसूची अभिप्रेत है,

(vii) "रोक तख्तों" से द्वितीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं के अनुसार संनिर्मित रोक तख्ते अभिप्रेत हैं,

(viii) "थाम" से तृतीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं के अनुरूप थाम अभिप्रेत हैं,

(ix) "तार-रस्सियों" से वे तार-रस्सियां अभिप्रेत हैं जिनकी फिटिंग चौथी अनुसूची की अपेक्षाओं के अनुरूप है,

(x) "उर्ध्वखंभे" से वे उर्ध्वखंभे अभिप्रेत हैं जिनकी फिटिंग पांचवीं अनुसूची की अपेक्षाओं के अनुरूप है।

3. **समतलन**–उन कक्षों में जो खुले अनाज से पूरी तरह भरे हैं अनाज का इस प्रकार समतलन किया जाएगा जिससे धरनों और पार्श्वों में और सिरे के स्थानों की बीच की जगहें भर जाएं।

(2) जो कक्ष भागतः खुले अनाज से भरे हैं उनमें अनाज वहां के सिवाए जहां ऐसा करना असाध्य हो, समतल किया जायेगा।

4. **पूरे कक्ष का भरण**–(1) इसमें इसके पश्चात् उपबंधित के सिवाए, कोई कक्ष जो खुले अनाज से पूरी तरह से भरा हुआ हो, वह–

(क) ऐसी लम्बी पोतमीत या रोक तख्तों द्वारा विभाजित किया जाएगा जो मध्य रेखा से लगे हुये हों या पोत की मोल्डेड चौड़ाई के पांच प्रतिशत से अनधिक हट कर न हों, या

(ख) पोत की मध्य रेखा से हट कर लगे लम्बे पोतमीत या रोक तख्तों द्वारा विभाजित किया जायेगा,

परन्तु उनके बीच की दूरी पोत की मोल्डेड चौड़ाई के 60 प्रतिशत से अधिक न हो और पश्चात् कथित दशा में आड़ी पोतमीतों से 3.66 मीटर से अनधिक दूर रखे हुये सिरे के समतलन विपाटों सहित 7.62 मीटर से अनधिक लम्बान अंतरालों में पार्श्वों में यथोचित रूप से रखे हुये समतलन विपाटों की व्यवस्था की जाये।

(2) हर दशा में लम्बी पोतमीत या रोक तख्ते उचित और पर सानामत किये जाएंगे और धरनों के बीच उचित फिटिंग द्वारा ऐसे फिट किये जायेंगे कि वे अन्नरुद्ध होंगे।

(3) क–किसी कक्ष में जो फलका हो लम्बी पोतमीत या रोक तख्ते डेक के निचली तरफ से नीचे की ओर फलके की कम से कम एक तिहाई गहराई या 2.44 मीटर दूरी इनमें जो भी अधिक हो, तक विस्तारित होंगे।

ख–कक्षों में ट्विन डेक और अधिसंरचना के या फलक से भिन्न किसी कक्ष में ऐसी लम्बी पोतमीत या रोक तख्ते एक डेक से दूसरे डेक तक विस्तारित होंगे।

(4) उपनियम (1), (2) और (3) के उपबंध निम्नलिखित को लागू नहीं होंगे—

(क) फलका से भिन्न किसी कक्ष को यदि बोरों में बन्द अनाज या इसमें अन्य यथोचित स्थोरा चौड़ाई तक जो किसी स्थान पर पोत की तत्सम्बन्धी चौड़ाई के 20 प्रतिशत से अन्यून हो पार्श्वों में बस कर नौभरित किया गया है,

(ख) कक्षों के भागों को जहां ऐसे भागों में डैक हैड की अधिकतम चौड़ाई पोत की मोल्डेड चौड़ाई के आधे से अधिक न हो,

(ग) खुली अलसी से लदे हुये कक्षों की बाबत के सिवाए किसी कक्ष के उन भागों को जो एक डैक या दो डैक वाले पोत की दशा में वे पोत जो समुद्र यात्रा में आद्योपान्त 0.31 मीटर से अन्यून की और अन्य पोतों की दशा में 0.36 मीटर से अन्यून की चल केन्द्रीय ऊंचाई बनाए रखते हैं, जो

(i) संभरक से नीचे हैं और 2.13 मीटर के अन्दर किन्तु जो विपाट मार्ग से केवल नीचे या बराबर हैं यदि उस संभरक में या कक्ष को सामुहिक रूप से संभरक में या कक्ष को सामुहिक रूप से संभरित करने वाले भी संभरकों में उस अनाज की मात्रा के पांच प्रतिशत से अन्यून मात्रा है जो संभरित किये गये कक्ष में वहन किया जाता है ।

(ii) विपाट मार्ग के नीचे या बराबर हैं जहां विपाट मार्ग के नीचे खुला अनाज तश्तरी के आकार में विपाट मार्ग से परे डैक हैड तक से अन्यून की तश्तरी के केन्द्र में 1.83 मीटर की गहराई में जो डैक लाइन के नीचे मापी जायगी कस कर समतलित किया गया है और बोरों में बन्द अनाज से या अन्य बोरों में बन्द स्थोरा से इस प्रकार पूरा भर दिया गया है कि विपाट मार्ग और उसके नीचे की तश्तरी पर जाए और डैक हैड लम्बी पोतमीतों विपाट मार्ग धरन और विपाट मार्ग बगलों और सिरे की अड़वालों के साथ कस कर नौभरित किया गया है ।

5. संभरक:—(1) किसी कक्ष में जो खुले अनाज से पूरी तरह भरा हुआ है संभरकों की व्यवस्था की जायेगी जो प्रथम अनुसूची की अपेक्षाओं के अनुसार या ऐसी अन्य अपेक्षाओं के अनुसार सन्निर्मित किये जायेंगे जिन्हें केन्द्रीय सरकार या केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी समय-समय पर शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विहित करें ।

(2) ऐसे संभरक इस प्रकार स्थित किये जायगे जिससे कि उस कक्ष के जिसमें खुला अनाज है सभी भागों में अनाज का निर्बाध रूप से जाना सुनिश्चित हो सके ।

परन्तु संभरक निम्नलिखित दशाओं में अपेक्षित नहीं होंगे :—

(क) जब खला अनाज गहरी टंकियों में वहन किया जाता हो जो प्राथमिक रूप से द्रवों को वहन करने के लिये सन्निर्मित हैं और जिनकी अधिकतम चौड़ाई पोत की मोल्डेड चौड़ाई के आधे से अधिक न हो या जो एक या अधिक इस्पात के स्थायी लम्बे खंडों द्वारा विभाजित हो जो पोत की मोल्डेड चौड़ाई के आधे से अधिक दूरी पर स्थित हो किन्तु शर्त यह है कि टंकियों या टंकियों के विपाट मार्ग पूरी तरह भरे हों और टंकियों के ढक्कन मजबूती से बन्द किये गये हों ।

(ख) जब खुला अनाज तश्तरी के आकार में विपाट मार्ग से परे डैक हैड तक तश्तरी के केन्द्र में 1.83 मीटर से अन्यून की गहराई में, जो डैक लाइन के नीचे मापी जायेगी, कस कर समतल किया गया है और बोरों में बन्द अनाज से या अन्य बोरों में बन्द स्थोरा से इस तरह पूरा भर दिया गया है कि विपाट मार्ग और उसके नीचे की तश्तरी भर जाये और डैक हैड, लम्बी पोत भीत विपाट धरन और विपाट बगलों और सिरे की अड़वालों के साथ कसकर नौ-भारित किया गया है।

(3) नियम 4 के उपनियम (4) के खंड (ग) के उपखंड (i) के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुये प्रत्येक संभरक में कक्ष के उस भाग के जिसको यह संभरित करता है डैक तल से नीचे वहन किये जाने वाले अनाज की मात्रा का 2 प्रतिशत से अन्यन अनाज होगा।

(4) प्रत्येक संभरक में संभरक की पूरी गहराई तक लम्बे पोत-भीत या रोक तख्ते फिट किये जाएंगे।

परन्तु ऐसे लम्बे पोत-भीत या रोक तख्ते उन एक डैक या दो डैक वाले पोतों में जो पूरी समुद्र यात्रा में 0.31 मीटर की चल केन्द्रीय ऊंचाई बनाये रखते हैं या किसी अन्य पोत में जो पूरी समुद्र यात्रा में 0.36 मीटर की चल केन्द्रीय ऊंचाई बनाए रखते हैं, तब फिट किया जाना आवश्यक नहीं होगा—

(i) यदि उस संभरक में या किसी कक्ष को सामूहिक रूप से संभरित करने वाले सभी संभरकों में उस अनाज की मात्रा के पांच प्रतिशत से अन्यन मात्रा है जो उस कक्ष में डैक तल से नीचे वहन किया जाता है ;

(ii) यदि संभरित किये गये कक्ष के आयतन के 2 प्रतिशत तक अनाज की धसन से अनाज रिक्त स्थान का तल डैक तल पर संभरक या संभरकों के लिए निचले छोर से नीचे न गिरे ;

(iii) यदि खुले अनाज तल के क्षेतिज के साथ 12 डिग्री कोड का पटाव उस तल को डैक तल पर के संभरक या संभरकों के निचले छोरों से नीचे नहीं गिराएगा।

स्पष्टीकरण :—इस उप नियम के प्रयोजनों के लिये संभरकों में मध्य –रेल विभाजनों के लोप होने के कारण अनाज के अतिरिक्त रिक्त स्थान के प्रभावों को नियम 4 के उप–नियम (4) के खंड (ग) में निर्दिष्ट चल केन्द्रीय ऊंचाई की संभणना करते समय लेखे में लिया जाएगा। प्रत्येक संभरक तक की चल केन्द्रीय ऊंचाई की शुद्धि छटी अनुसूची में उपवर्णित सूत्र के अनुसार की जायेगी।

6. सामान्य लदान :—किसी पोत में जब एक के ऊपर एक कक्ष अनाज से पूरी तरह भरे जाने हैं ऐसे कक्ष एक कक्ष के रूप में निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन लादे जा सकते हैं अर्थात् :—

(क) नियम 4 के उपनियम (4) के खंड (ग) में उपबंधित के सिवाए एक लम्बी पोत भीत या रोक तख्ते —

(i) दो डैक वाले पोत के ट्विन डैक में डैक से डैक तक

(ii) अन्य सभी पोतों की दशा में सामान्य रूप से लदान किये गये कक्षों की कुल गहराईके ऊपरी एक–तिहाई भाग में लगाए जायेंगे।

(ख) सामान्य रूप से लदान किये गये कक्षों के सबसे ऊपर के डैक के ठीक नीचे के डैक के पार्श्व में मुख्य विपाट मार्ग के आगे और पीछे कम से कम 0.37 वर्ग मीटर के

छिद्र रखे जाएंगे। ऐसे छिद्र मुख्य या अन्य विपाट मार्गों के साथ आगे और पीछे की रेखा में मापी गई 2.44 मीटर से अनधिक की संभरण दूरी होगी।

(ग) नियम 5 और 7 के उपबन्ध सामान्य रुप से लदान किए गये कक्षों को इस प्रकार लागू होंगे जैसे कि वे एक ही कक्ष है।

7. **सिरे के कक्षों को समतल करना और बोरों से भरना** :—(1) जब किसी फलके या कक्ष के किसी भाग से निकटतम संभरक तक आगे पीछे की रेखा में मापी गई दूरी निकटतम संभरक से 7.62 मीटर से अधिक हो जाती है तब 7.62 मीटर से अधिक से परे सिरों के स्थानों में खुला अनाज डैक से नीचे कम से कम 1.83 मीटर की गहराई तक चौरस कर दिया जाएगा और सिरों के स्थान यथोचित प्लेटफार्म पर रखे हुए बोरों में बन्द अनाज से नौभरित कर दिये जाएंगे।

(2) ऐसा प्लेटफार्म नियम 8 की अपेक्षाओं के अनुसार संरचित किया जायेगा।

8. **भागतः भरे हुये कक्षों का नौभरण** :—(1) इसमें इसके पश्चात् उपबंधित के सिवाए कोई कक्ष जो खले अनाज से भागतः भरा है या तो

(क) (i) लम्बी पोत मीत से, या

( ) रोक तख्तों से,

पोत की मध्य रेखा से मोल्डेड चौड़ाई के साथ-साथ या उसके पांच प्रतिशत से अनधिक तक विभाजित किया जाएगा, या

(ख) पोत की मध्य रेखा से फटकर —

(i) दो या अधिक लम्बी पोत मीतों से, या

(ii) रोक तख्तों से,

विभाजित किया जायगा :]

परन्तु उनके बीच की दूरी पोत की मोल्डेड चौड़ाई के साठ प्रतिशत से अधिक न हो।

(2) प्रत्येक कक्ष में लम्बी पोत मीत या रोक तख्त उचित रूप से सन्निर्मित किये जाएंगे और कक्ष के तल से खुले अनाज की सतह से ऊपर 0.61 मीटर से अन्यून की ऊंचाई तक जाएंगे।

(3) उपनियम (1) और (2) के उपबन्ध निम्नलिखित को लागू नहीं होंगे :—

(क) वह कक्ष जो अलसी से भिन्न अनाज से भागतः भरा है जहां —

(i) एक डैक या दो डैक के पोत की दशा में, पूरी समुद्र यात्रा के दौरान 0.31 मीटर से अन्यून की चल केन्द्रीय ऊंचाई बनाए रखी जाती है, या

(ii) अन्य पोत की दशा में, पूरी समुद्र यात्रा के दौरान 0.36 मीटर से अन्यून की चल केन्द्रीय ऊंचाई बनाए रखी जाती है,

(ख) कोई कक्ष, जो फलका है, यदि उसमें का खुला अनाज फलके की धारिता के एक-तिहाई से या जहां ऐसा फलका शाफ्ट टनल द्वारा विभाजित किया गया है, वहां उस फलके की धारिता के आधे से अधिक नहीं होगा ।

(ग) फलके से भिन्न कक्ष यदि उसमें बोरों में बन्द अनाज या अन्य यथोचित स्थोरा पार्श्वों में किसी बिन्दु पर पोत की तत्स्थानी चौड़ाई के बीस प्रतिशत से अन्यून की चौड़ाई में कस कर नौभरित है ।

(घ) कक्ष के वे भाग जहां ऐसे भागों में डैक हैड की अधिकतम चौड़ाई पोत की मोल्डेड चौड़ाई के आधे से अधिक नहीं है ;

(4) जब कोई कक्ष खुले अनाज से भागतः भरा है तब खुला अनाज चौरस कर दिया जाएगा और इनके ऊपर बोरों में बन्द अनाज या अन्य यथोचित स्थोरा कस कर रख दिया जाएगा और जो खुले अनाज के ऊपरी सतह से कक्ष के उन भागों में जो लम्बी पोत भीतों या रोक तख्तों से विभाजित है 1.22 मीटर से अन्यून की ऊंचाई तक और कक्ष के उन भागों में जो इस प्रकार विभाजित नहीं हैं 1.52 मीटर की ऊंचाई, तक होगा ;

परन्तु उस कक्ष की दशा में जो ऐसा फलका है जिसमें खुला अनाज फलके की धारिता के एक-तिहाई से अधिक या जहां ऐसी फलका शाफ्ट टनल द्वारा विभाजित है वहां उस फलके की धारिता के आधे से अधिक नहीं है, बोरों में बन्ध अनाज या अन्य यथोचित स्थोरा की गहराई 1.22 मीटर से अन्यून होगी ।

(5) बोरों में बन्ध अनाज या अन्य यथोचित स्थोरा खुले अनाज के सम्पूर्ण तल पर बने हुए यथोचित प्लेटफार्म पर रखा जायेगा और ऐसे प्लेटफार्मों में —

(क) पट्टियां जो एक-दूसरी से 1.22 मीटर की दूरी से अधिक नहीं होंगी और उस पर 25 मिलीमीटर वाले तख्ते रखे जायेंगे जो एक-दूसरे में 0.30 मीटर से अनधिक दूरी पर हों ; या

(ख) मजबूत पृथक्कारी कपड़े जो पर्याप्त रूप से एक-दूसरे पर चढ़े होंगे ।

9. **भागतः भरे हुए कक्षों की संख्या की परिसीमा** : (1) उन पोतों की दशा में के सिवाय जिसमें पूरी समुद्र यात्रा के दौरान, एक डैक या दो डैक वाले पोतों की दशा में 0.31 मीटर से अन्यून की या अन्य पोतों की दशा में 0.36 मीटर से अन्यून की चल केन्द्रीय ऊंचाई बनाए रखी जाती है, से अधिक कक्ष खुले अनाज से भागतः नहीं भरे जाएंगे सिवाय इसके कि अन्य कक्ष खुले अनाज से भागतः भरे जा सकते हैं यदि वे डैक हैड तक बोरों में बन्ध या अन्य स्थोरा से भरे हुए हैं ।

(2) इस नियम के प्रयोजनों के लिये —

(क) अध्यारोपित ट्विन डैक पृथक कक्ष और उनके नीचे के किसी निचले फलके से पृथक समझे जाएंगे ।

(ख) नियम 10 के खंड (ग) में निर्दिष्ट संभरक और भागतः भरी गई जगहें, कक्ष नहीं समझी जाएंगी, और—

(ग) फलके और कक्ष जिनमें एक या अधिक अक्ष रोक उप-खंड हैं, एक फलका या कक्ष समझा जाएगा ।

10. **ट्विन डैकों और अधिसंरचनाओं में खुला अनाज**—खुला अनाज उन कक्षों में जो पोत की अधिसंरचना या दो डैक वाले पोत के ट्विन डैकों या दो डैक से अधिक वाले पोत के सब से ऊपर के ट्विन डैकों में निम्नलिखित शर्तों के अधीन के सिवाय, वहन नहीं किया जाएगा, अर्थात् :—

(क) खुला अनाज या अन्य स्थोरा इस प्रकार कस कर नौभरित किया जायेगा कि अधिकतम स्थिरता सुनिश्चित हो जाए ।

(ख) सभी दशाओं में या तो पूरी समुद्र यात्रा के दौरान एक डैक या दो डैक वाले पोत में 0.31 मीटर से अन्यून की या अन्य पोतों की दशा में 0.36 मीटर से अन्यून की चल केन्द्रीय ऊंचाई बनाई रखी जाती हो या अनुकल्पतः ऐसे कक्षों में वहन किये गये खुले अनाज या अन्य स्थोरा की कुल मात्रा शेष स्थोरा से भार के आधार पर अट्ठाईस प्रतिशत से अधिक न हो और मास्टर का समाधान हो जाता है कि पोत पूरी समुद्र यात्रा के दौरान यथोचित स्थिरता रखेगा ;

परन्तु इस खंड में विनिर्दिष्ट अट्ठाईस प्रतिशत का निर्बन्धन तब लागू नहीं होगा जब डैक के ऊपर या सबसे ऊपर के ट्विन डैक जगहों में वहन किया गया अनाज स्थोरा जई, जौ या बिनौला हो ;

(ग) ऐसे कक्षों के जिनमें खुला अनाज है और जो केवल भागतः भरे हुए हैं किसी भाग का, डैक क्षेत्रफल 93 वर्ग मीटर से अधिक न हो : और

(घ) ऐसे सब कक्षों में जिनमें खुला अनाज नौभरित किया गया है, जो या तो 30.50 मीटर से अनधिक के अन्तरालों पर आडी पोतभीतों द्वारा उप-विभाजित हों या जब यह दूरी बढ़ जाती हो तो बड़ी जगह बोरों में बन्द अनाज या अन्य यथोचित स्थोरा से पूर्ण रूप से भरी हो ।

11. **विशेष रूप से उपयुक्त पोतों का नौ-भरण**—(1) नियम 4 से 10 तक, जिसमें ये दोनों सम्मिलित हैं, के उपबन्ध ऐसे किसी पोत को लागू नहीं होंगे जिसमें अनाज के किसी अनुप्रस्थ हटाव का प्रभाव, लम्बे खंडों के द्वारा या संरचनात्मक आकारों द्वारा ऐसी सीमा तक परिसीमित है कि अनाज के हटाव के फलस्वरूप उपनियम (2) में की गई उपधारणाओं के आधार पर संगणित झुकाव समुद्र यात्रा के किसी भी प्रक्रम में 5 डिग्री से अधिक नहीं होता ।

(2) उपनियम (1) में निर्दिष्ट पोत के झुकाव की संगणना करने में वह उपधारणा की जायगी कि वे अनाज तल जो चौरस कर दिये हैं या जो क्षैतिज से 30 डिग्री से कम की जनति के कोण वाली सीमा से निरुद्ध हैं, आयतन में 2 प्रतिशत और इसके अतिरिक्त अपने मूल तल के साथ 12 डिग्री के कोण से या यदि अति नौ-भरित हो तो 8 डिग्री के कोण से, नियम 8 के उपनियम (4) और (5) के अनुसरण में, बैठ जाते हैं ।

(3) ऐसा प्रत्येक पोत जिसको नियम 4 से 10 तक जिसमें ये दोनों सम्मिलित हैं, के उपबन्ध लागू नहीं होते, अनाज लदान योजना और पर्याप्त स्थिरता सूचना यह दर्शित करने के लिये रखेगा कि अपनाई जाने वाले नौ-भरण प्रबन्धों के लिये, उपनियम (1) में निर्दिष्ट झुकाव अधिक नहीं होगा ।

12. **जल नीरम टंकियां**—दोहरी तली की टंकियों में जो नियम 4, 5, 8, 9 और 10 में निर्दिष्ट चल केन्द्रीय ऊंचाई की संगणना करने या नियम 11 में निर्दिष्ट झुकाव की संगणना करने में लेखे में ली गई है, पर्याप्त जल-रोधी लम्बे उपखंड होंगे, सिवाय वहां के जहां आधी लम्बाई पर मापी गई टंकी की चौड़ाई पोत की मोल्डेड चौड़ाई के 60 प्रतिशत से अधिक नहीं होती।

13. **बोरों में बन्द अनाज**—बोरों में बन्द अनाज, मजबूत बोरों में जो मजबूती से बन्द, किये गये हों, ले जाया जायेगा और नियम 16 के परन्तुक की मद (ख) की उपमद (iv) में उपबन्धित के सिवाय अच्छी तरह भी होंगे।

14. **देशीय व्यापार पोतों का लादान**—दो डैक वाले पोत के ट्विन डैकों में या दो डैकों से अधिक वाले पोत के सबसे ऊपरी के ट्विन डैकों में खुले अनाज के नौभरण की बाबत के सिवाय इन नियमों के पूर्वगामी उपबन्ध नियम 15 और 16 के उपबन्धों के अनुपालन के अध्यधीन रहते हुए ऐसे किसी देशी व्यापार पोत को लागू नहीं होंगे जिसमें खुला अनाज वहन किया जाता है।

स्पष्टीकरण :—इन नियमों के प्रयोजन के लिये कोई पोत जो भारत में किसी पत्तन या स्थान पर भारत के ही किसी अन्य पत्तन या स्थान में समुद्र यात्रा के लिये भागतः खाली कर दिया गया है, देशीय व्यापार पोत समझा जायेगा।

15. **देशीय व्यापार पोत में पूरे कक्षों का नौभरण**—देशीय व्यापार पोतों में किसी कक्ष का जो पूरी तरह खुले अनाज से भरा है, नौभरण इस प्रकार से होगा :—

(क) अनाज पार्श्वों, सिरों और धरन जगहों से सटाकर, कसकर समतलित किया जायेगा, और

(ख) या तो बिपाट मार्ग में, डैक तल के नीचे से उस कक्ष में, जिसे वह संभरित करता है, वहन किये गये खुले अनाज की मात्रा के 4 प्रतिशत से अन्यून मात्रा होगी या अनुकल्पतः विपाट मार्ग के नीचे का खुला अनाज एक तश्तरी के आकार में समतलित किया जायेगा और उसके ऊपर बोरों में बन्द अनाज या बोरों में बन्द अन्य यथोचित स्थोरा नियम 4 के उपनियम (4) के खंड (ग) के उपखंड (ii) में विनिर्दिष्ट रीति में रखा जाएगा, सिवाय इसके कि किसी ऐसे पोत की बाबत, जो सातवीं अनुसूची में यथापरिभाषित, साफ मौसम की ऋतु के दौरान समुद्र यात्रा कर रहा है, कक्ष में पोत भीत या रोक तख्ते से न लगे हों।

16. **देशीय व्यापार पोतों के भागतः भरे गये कक्षों का नौभरण**—देशीय व्यापार पोतों किसी ऐसे कक्ष का नौभरण जो खुले अनाज से भागतः भरा गया है नियम 8 के उपबन्धों का अनुपालन करते हुए होगा।

परन्तु दो से अनधिक कक्ष निम्नलिखित रीतियों में से किसी के द्वारा नौभरित किये जा सकते हैं ; अर्थात् :—

(क) खुला अनाज चौरस किया जायेगा और इसके ऊपर बोरों में बन्द अनाज पृथक्कारी कपड़ों पर कम से कम दो तहों में या अन्य यथोचित स्थोरा, प्लेटफार्म या पृथक्कारी कपड़े पर नौभरित किया जाएगा।

(ख) (i) फलके में खाली स्थान से खुला अनाज निम्नलिखित रीतियों में से एक के द्वारा विभाजित किया जाएगा ; अर्थात्—

रिति 1—कक्ष के अगले भाग में काष्ठ की अनुप्रस्थ ऊर्ध्वाधर अग्ररोक पोतभीत और इस प्रकार फिट की जाएगी कि जिससे अनाज के नौभरण के लिए अपेक्षित कक्ष की धारिता घट जाये ।

रीति 2—बोरों में बन्द अनाज की मजबूती से और कसकर संरचित अनुप्रस्थ ऊर्ध्वाधर पोतभीत प्रयुक्त की जायेगी । पोतभीत में आगे और पीछे की दिशा में बोरों की पर्याप्त पंक्तियां होंगी जिससे कि वह समुद्र यात्रा के दौरान पिचिंग और स्केडिंग के प्रभावों को सहन कर सके । इसकी नीव कक्ष के फश पर होगी और बोरों की चार से अन्यून कतारों को मिलकर बनी होगी । यह अपेक्षित चार कतारे संकरी होकर ऊपर दो कतारों तक ही हो सकती है परन्तु यह तब जब कि अपेक्षित आलम्ब के लगाने और बनाए रखने के लिये केवल दो कतारें पर्याप्त समझी जाएं ।

रीरति 3—अनाज के बोरों की एक सीढ़ीनुमा ढलवां पोतभीत बनाई जाएगी । बोरे एक-दूसरे के साथ कर कर पैक कर किये जाएंगे और अनाज में आगे और पीछे की दिशा में जमा दिये जाएंगे ।

वे लिटाकर रखे जायेगें और एक दूसरे के ऊपर अपनी लम्बाई के आधे से कम नहीं होंगे । सबसे निचली तह इस प्रकार रखी जाएगी कि यह दृढ़ ठोस नींव पर ठहरे और कक्ष के फश पर या चौरस किये गये अनाज तल पर बिछाए गए पृथक्कारी कपड़ों पर रखी जाएगी जो पोत की एक आड़ी पोतभीत तक पहुंच जाये । बोरे पोत की बगलों के स्थान पर फ्रेमों में अच्छी तरह बन्द कर दिये जाएंगे और कक्ष की बगलों पर दूसरी तह रखी जाएगी । पोत तें विपाट मार्ग में बांध दी जाएंगी और बोरों की ऊपरी तहें पेटा धरनों या विपाट सिरा अड़वाल से इस प्रकार कर बांध दी जाएगी कि आगे पीछे की गति से सुरक्षित रह सके ।

(ii) खुला अनाज इस प्रकार नाभरित किया जायेगा कि खुला तल विपाट मार्ग की सीमाओं में इस रीति से रहे कि यह संभरक का काम करे । कक्ष का वह भाग जिसमें खुला अनाज है पूरी तरह से भर दिया जायेगा और अनाज इस प्रकार परिबद्ध किया जाएगा कि इसमें से कुछ भी कक्ष के खाली भाग में न जा सके । खुला अनाज कक्ष के एक सिरे में कसकर समतल कर दिया जाएगा । पार्श्व और धरन जगहें भर दी जाएंगी और विपाट माग के उसी सिरे पर जितना संभव हो सके उतना अनाज नौभरित कर दिया जाएगा कि जिससे संभरण प्रयोजनों के लिये पर्याप्त प्रवाय सुनिश्चित हो जाए ।

(iii) जहां खुला अनाज विपाट मार्ग तक पहुंचने के लिये पर्याप्त नहीं है वहां अनाज तल पोत की चौड़ाई की ओर समतल कर दिया जायेगा और आगे पीछे के ढाल स्वाभाविक विश्राम कोण से पर्याप्त नीचे कर दिये जायेंगे और अनाज का तल कस कर नौभरित बोरों में बन्द अनाज से या अन्य यथोचित स्थोरा की कम से कम दो तहों से सुरक्षित कर दिया जाएगा । बोरों में बन्द अनाज या अन्य यथोचित स्थोरा यथोचित प्लेटफार्मों पर या मजबूत पृथक्कारी कपड़ों पर जो खुले अनाज के सम्पूर्ण तल के ऊपर बिछे होंगे रखा जाएगा ।

(IV) इस खंड में निर्दिष्ट बोरे ढीले भरे जायेंगे और जहां वे पोत भीत बनाने के लिये प्रयुक्त होते हैं वहां वे इस प्रकार रखे जाएंगे कि उनके मुंह खुले अनाज की ओर हों ।

अनाज फिटिंग

17. **साधारण**—अनाज फिटिंग के लिये प्रयुक्त सभी काष्ठ अच्छी ठोस क्वालिटी का तथा ऐसे प्रकार और श्रेणी का होगा जो आशयित उपयोग के लिये सन्तोषजनक साबित हो चका है । काष्ठ की वास्तविक तैयार विमाएं इन नियमों में विनिर्दिष्ट विशिष्ट फिटिंग की अपेक्षाओं के अनुसार होगी । एक्सटिरियर टाइप की प्लाई वुड, जो जल-सह सरेश से चिपकी होगी और इस रीति से लगाई गई हो जिससे मुख परत के रेशों की दिशा आलम्बनकारी खड़े खम्बों या बाइंडरों के लम्ब रूप हो प्रयोग की जा सकती है, परन्तु यह तब जब कि इसकी शक्ति समुचित घटकमापों के ठोस काष्ठ के समतुल्य हो ।

18. **रोक तख्ते**—इन नियमों के उपबन्धों में से किसी का अनुपालन करने के लिये प्रयुक्त प्रत्येक रोक तख्ता द्वितीय अनुसूची में उपवर्णित आकार, शक्ति और विनिर्देश का होगा ।

19. **खड़े खम्बे** — इन नियमों के उपबन्धों में से किसी का अनुपालन करने के लिये प्रयुक्त प्रत्येक खड़ा खम्बा सिवाय उनके जो उन संभरकों में प्रयोग किये गये हैं जिनको प्रथम अनुसूची के पैरा 2 के खण्ड (ख) की अपेक्षाएं लागू होती हैं पांचवीं अनुसूची में उपवर्णित आकार शक्ति और विनिर्देश के होंगे ।

20. **थाम**—इन नियमों के उपबन्धों में से किसी का अनुपालन करने के लिये प्रयुक्त प्रत्येक काष्ठ थाम सिवाय उनके जो संभरकों में प्रयुक्त किए गए हैं जिनके लिए इन नियमों में पृथक उपबन्ध बनाए गए हैं तृतीय अनुसूची में उपवर्णित आकार शक्ति और विनिर्देश के होंगे ।

21. **संभरण छिद्र**— जहां विपाट मार्ग और धरनों या बगल के ग्रेडरों की गहराई डैक तल से नीचे 0.381 मीटर (381 मिलीमीटर) से अधिक हो जाती है वहां डैक तल के यावत्संभव समीप लगभग एक-दूसरे से 0.610 मीटर (610 मिलीमीटर) की दूरी पर संभरन छिद्र होंगे ताकि कक्षों में अनाज ऐसी धरनों या ग्रडरों में से जा सके । ऐसे संभरण छिद्र जहां विपाट मार्ग और धरनों या बगल के ग्रेडरों की गहराई 0.381 मीटर (381 मिलीमीटर) से अधिक है किन्तु 0.457 मीटर से अधिक नहीं है जहां 51 मिली मीटर व्यास के और जहां ऐसी गहराई 0.457 मीटर (457 मिली मीटर) से अधिक है वहां 88 मिली मीटर व्यास के होंगे ।

22. **अपराध**—किसी व्यक्ति द्वारा इन नियमों के उपबन्धों में से किसी का अनुपालन करने का उल्लंघन या असफलता अनाज स्थोरों को हटने से रोकने के लिये सभी आवश्यक और सम्भित पूर्वाविधानियां बरतने में असफलता समझी जाएगी और यह अधिनियम की धारा 332 की उपधारा (1) और (2) के अधीन अपराध गठित करेगा ।

प्रथम अनुसूची

[नियम 2(iii) और 5 (i) देखिए]

संभरकों और पोतभीतों का संनिर्माण

1. संभरक और पोतभीत अनाज के दाब को सहन करने के लिये पर्याप्त शक्ति के और अग्नि... रुद्ध होंगे ।

2. **काष्ठ के संभरकों और पोतभीतों का संनिर्माण**—(1) काष्ठ संभरकों का संनिर्माण उस पैरा के उपपैरा (2) और (3) में उपवर्णित किसी एक विनिदेश और रीति के अनुरूप होगा;

(2) क्षेतिज तख्तों से संनिर्मित और खड़े खम्बों द्वारा आलम्बित संभरकों को निम्नलिखित उपबन्ध लागू होंगे अर्थात् :—

(क) तख्ते :—63 मिली मीटर के तख्तों का आलम्ब सहित पाट सारणी 1 और 2 में जो इसमें इसके पश्चात् क्रमशः संभरक बगलों और संभरकों के सिरों के लिये उपवर्णित है विनिर्दिष्ट अधिकतम अनुज्ञेय आलम्ब सहित पाट से अधिक नहीं होगा । अन्य तख्तों के लिये आलम्ब रहित पाट जो 63 मिली मीटर से कम मोटा नहीं होगा, उससे अधिक नहीं होगा जो पूर्वोक्त सारणियों में विनिर्दिष्ट पाट को तख्तों की मोटाई के सीधे अनुपात में उपान्तरण करके प्राप्त किया जाये ।

सारणी 1

संभरक बंगलों पर 63 किलोमीटर क्षेतिज तख्तों का अधिकतम अनुज्ञेय आलम्ब रहित पाट—मीटरों में

संभरक की ऊंचाई मीटरों में	संभरक की चौड़ाई मीटरों में									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.5	3.35	2.70	2.39	2.21	2.09	2.00	1.92	1.88	1.83	1.79
3.0	3.26	2.59	2.28	2.10	1.99	1.90	1.83	1.78	1.73	1.69
3.5	3.20	2.51	2.20	2.02	1.91	1.82	1.75	1.70	1.66	1.62
4.0	3.14	2.43	2.13	1.95	1.84	1.75	1.68	1.63	1.59	1.55
4.5	3.11	2.37	2.07	1.89	1.78	1.69	1.63	1.58	1.54	1.50
5.0	3.08	2.31	2.02	1.64	1.73	1.64	1.58	1.53	1.49	1.45
5.5	3.05	2.27	1.98	1.80	1.69	1.60	1.54	1.49	1.45	1.41
6.0	3.05	2.26	1.95	1.77	1.66	1.57	1.51	1.46	1.42	1.38
6.5	3.05	2.25	1.93	1.74	1.63	1.54	1.48	1.43	1.39	1.35
7.0	3.05	2.25	1.92	1.73	1.60	1.51	1.49	1.40	1.36	1.32
7.5	3.05	2.25	1.91	1.72	1.58	1.49	1.43	1.38	1.34	1.30

टिप्पण :—मध्यवर्ती संभरक ऊचाईयों या चौड़ाईयों पर 63 मिलीमीटर के तख्तों का अधिकतम आलम्ब रहित पाट अंतर्देशन द्वारा निकाला जायगा ।

सारणी—2

संभरक सिरों पर 63 मिली मीटर क्षेतिज तख्तों का अधिकतम अनुज्ञय आलम्बु रहित पाट मीटरों में।

संभरक की	संभरक की लम्बाई मीटरों में									
ऊंचाई मीटरों में	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.5	3.75	3.21	3.18	3.18	3.18	3.18	3.18	3.18	3.18	3.18
3.0	3.62	3.02	2.87	2.88	2.88	2.88	2.88	2.88	2.88	2.88
3.5	3.51	2.88	2.67	2.65	2.65	2.65	2.65	2.65	2.65	2.65
4.0	3.40	2.81	2.51	2.46	2.46	2.46	2.46	2.46	2.46	2.46
4.5	3.32	2.74	2.40	2.32	2.31	1.31	2.31	2.31	2.31	2.31
5.0	3.26	2.68	2.34	2.20	2.18	2.18	2.18	2.18	2.18	2.18
5.5	3.25	2.63	2.30	2.13	2.08	2.07	2.07	2.07	2.07	2.07
6.0	3.25	2.63	2.27	2.08	2.00	1.97	1.97	1.97	1.97	1.97
6.5	3.25	2.63	2.25	2.04	1.93	1.89	1.89	1.89	1.89	1.89
7.0	3.25	2.63	2.23	2.01	1.87	1.82	1.82	1.82	1.82	1.82
7.5	3.25	2.63	2.21	1.98	1.92	1.71	1.76	1.76	1.76	1.76

टिप्पण :—मध्यवर्ती संभरक ऊंचाईयों या लम्बाईयों पर 63 मिलीमीटर के तख्तों का अधिकतम आलम्ब रहित पाट अन्तर्देशन द्वारा निकाला जावेगा ।

(ख) संभरक खड़े खम्भें :— उन खड़े खम्भों का जो क्षेतिज तख्तों के आलम्ब के रूप में प्रयोग किये गये हैं परिच्छेद मापांक सेन्टीमीटर 3 में काष्ठ खम्बों की दशा में 79 . 20 पद या इस्पात खड़े खम्बों की दशा में 7.92 पद द्वारा दिये गये मापांक से कम नहीं होगा जिसमें P-संभरक बसल या संभरक सिरे की चौड़ाई संभरक बगल के मांग पर या संभरक सिरों पर जो खड़े खम्बों द्वारा आलम्बित है, का लम्बाई का प्रति मीटर दाब भार टनों में जो क्रमशः इसमें इसके पश्चात् उपवर्णित सारणी 3 और 4 से निकाला गया है ।

S–निकटतम खड़े खम्बों या प्रत्येक बगल के आलम्ब के बीच की दूरी का आधा मीटरों में ।

H-I खम्भो की आलम्ब रहित ऊंचाई मीटरों में ।

संभरकों के कोनों पर खड़े खम्बों की घटक माप ऐसी होगी कि वे सैभरक बगल और सिरों के लदान के कारण संयुक्त प्रतिबल सहन कर सकें । इस्पात से भिन्न धातु से संनिर्मित खड़े खम्बे, उपरोक्त सारणी 3 में निर्दिष्ट खड़े खम्बों की शक्ति के समतुल्य होगे ।

सारणी 3

संभरक बगल लंबाई का प्रतिमीटर दाब भार टनों में

संभरक की ऊंचाई मीटरों में	संभरक की जौड़ाई मीटरों में									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.0	1.10	1.55	1.90	2.17	2.40	2.59	2.76	2.92	3.07	3.21
2.5	1.49	2.11	2.61	3.05	3.43	3.75	4.01	4.24	4.41	4.55
3.0	1.90	2.80	3.48	4.04	4.51	4.92	5.27	5.57	5.83	6.05
3.5	2.33	3.52	4.44	5.12	5.66	6.15	6.60	7.02	7.43	7.73
4.0	2.77	4.24	5.38	6.25	6.95	7.57	8.12	8.62	9.08	9.52
4.5	3.22	5.00	6.38	7.42	8.32	9.09	9.74	10.34	10.94	11.54
5.0	3.68	5.78	7.43	8.69	9.76	10.68	11.42	12.22	12.92	13.57
5.5	4.15	6.60	8.49	10.03	11.24	12.33	13.26	14.09	14.90	15.69
6.0	4.63	7.44	9.61	11.37	12.81	14.07	15.15	16.10	17.00	17.89
6.5	5.13	8.32	10.78	12.76	14.43	15.86	17.12	18.22	19.22	20.18
7.0	5.65	9.24	12.00	14.21	16.08	17.69	19.12	20.40	21.57	22.66
7.5	6.20	10.10	13.24	15.68	17.74	19.53	20.17	22.67	24.03	25.25

टिप्पण : संभरक की अन्तर्वर्ती ऊंचाइयों और चौड़ाइयों पर संभरक बगल की लम्बाई का प्रति मीटर दाब भार अन्तर्वेशन द्वारा निकाला जाएगा

सारणी 4

संभरक सिरे की प्रति मीटर चौड़ाई पर टनों में दाब भार

संभरक की ऊंचाई मीटरों में	संभरक की लम्बाई—मीटरों में									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.0	0.67	0.75	0.77	0.77	0.77	0.77	0.77	0.77	0.77	0.77
2.5	0.97	1.44	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	12.0	1.20
3.0	1.27	1.65	1.72	1.72	1.72	1.72	1.72	1.72	1.72	1.72
3.5	1.60	2.17	2.33	2.36	2.36	2.36	2.36	2.36	2.36	2.36
4.0	1.96	2.71	3.03	3.07	3.07	3.07	3.07	3.07	3.07	3.07
4.5	2.36	3.28	3.78	3.86	3.87	3.87	3.87	3.87	3.87	3.87
5.0	2.75	3.88	4.57	4.73	4.77	4.77	4.77	4.77	4.77	4.77
5.5	3.11	4.48	5.39	5.69	5.76	5.76	5.76	5.76	5.76	5.76
6.0	3.50	5.14	6.20	6.65	6.85	6.88	6.88	6.88	6.88	6.88
6.5	3.86	5.75	7.05	7.69	7.97	8.07	8.07	8.07	8.07	8.07
7.0	4.19	6.37	7.90	8.76	9.14	9.35	9.35	9.35	9.35	9.35
7.5	4.52	6.99	8.74	9.82	10.34	10.69	10.69	10.69	10.69	10.69

टिप्पण : संभरक की मध्यावर्ती ऊंचाइयों या लम्बाइयों पर संभरक सिर की लम्बाई का प्रति मीटर दाब भार अन्तर्वेशन द्वारा निकाला जाएगा ।

(ग) **तार रस्सियां** :—संभरक बगल या सिरे के खड़े खम्बों में आलम्ब के रूप में प्रयुक्त क्षेतिज तार रस्सियों की मंजन सामर्थ्य टनों में $3\ P_1S$ में दी गई से कम नहीं होगी, जहां :—

P_1 संभरक बगल या संभरक सिरे की चौड़ाई संभरक बगल के भाग पर या संभरक सिरों पर जो तार की रस्सियों द्वारा आलम्बित है, प्रतिमीटर लम्बाई पर टनों में दाब भार जो क्रमशः इसमें इससे पूर्व उपवर्णित सारणी 3 और 4 से निकाला गया है, S= निकटतम खड़े खम्बों या प्रत्येक बगल पर आलम्ब के बीच की दूरी का आधा मीटरों में।

(घ) **थाम** :—संभरक बगल या सिरे के खड़े खम्बों के आलम्ब के रूप में प्रयुक्त थामों का (सें० मी०) 4" से में जड़त्व आघूर्ण काष्ठथामों की दशा में $27.00\ \frac{P_1SL_1^2}{\cos\theta}$ पद द्वारा या इस्पात थामों की दशा में $1.43\ \frac{P_1SL_1^2}{\cos\theta}$ पद द्वारा दिये गये जड़त्व आघूर्ण से कम नहीं होगा। जहां P_1=संभरक बगल या संभरक सिरे की चौड़ाई, संभरक व बगल के भाग पर या संभरक सिरों पर जो थामों द्वारा आलम्बित है प्रति मीटर लम्बाई पर टनों में दाब भार जो क्रमशः इसमें इससे पूर्व उपवर्णित सारणी 3 और 4 से निकाला गया है, S= निकटतम खड़े खम्बे या प्रत्येक बगल पर आलम्ब के बीच की दूरी का आधा मीटरों में, और

L_1= थाम की लम्बाई मीटरों में θ= थाम की क्षेतिज से आनति जो 45 डिग्री से अधिक नहीं होगी।

(3) जहां संभरक ऊर्ध्वाधर तख्तों से सन्निर्मित किये गये हैं वहां निम्नलिखित उपबन्ध लागू होंगे, अर्थात :—

(क) **तख्ते** :—ऊर्ध्वाधर तख्तों की सेंटीमीटर में मोटाई उससे कम नहीं होगी जो $1527\ PH_2$ पद द्वारा दी गई है, जहां—

P=संभरक बगल या संभरक की चौड़ाई संभरक बगल के भाग पर या संभरक सिरों पर जो तख्तों द्वारा आलम्बित है प्रतिमीटर लम्बाई पर टनों में दाब भार जो क्रमशः उसमें इससे पूर्व उपवर्णित सारणी 3 और 4 से निकाला गया, और H_2= तख्तों का आलम्ब रहित पाट, मीटरों में।

(ख) **बाइंडर** :—ऊर्ध्वाधर तख्तों के आलम्ब के रूप में प्रयुक्त क्षेतिज बाइंडरों का सें० मी० 3 में परिच्छेद मापांक काष्ठ बाइंडरों की दशा में $79.2\ P_1S_1^2$ पद द्वारा दिये गये या इस्पात बाइंडरों की दशा में $7.92\ P_1S_1^2$ पद द्वारा दिये गये से कम नहीं होगा, जहां—

P_1=संभरक बगल या संभरक की चौड़ाई संभरक बगल के भाग पर या संभरक सिरों पर जो बाइंडरों द्वारा आलम्बित है प्रतिमीटर लम्बाई पर टनों में दाब भार जो क्रमशः इसमें इससे पूर्व उपवर्णिति सारणी 3 और 4 स निकाला गया है, बाइंडरों द्वारा आलम्बित संभरक का ऊर्ध्वाधर विस्तार बाइंडरों के ऊपर और नीचे के निकटतम आलम्बों के बीच की दूरी का आधा लिया जायेगा, और

S_1=बाइंडरों की आलम्ब रहित लम्बाई मीटरों में। इस्पात से भिन्न धातु से सन्निर्मित बाइंडर इस्पात के बाइंडरों के शक्ति के समतुल्य होंगे।

जहां बाइंडर दो तख्तों या धातु का ऐंगल बार या अन्य परिच्छोदो से बने हैं जो ऊर्ध्वाधर तख्तों के दोनों ओर लगे हों, वहां प्रभावी परिच्छेद मापांक उस परिच्छेद मापांक का 70 प्रतिशत लिया जायेगा जो प्रत्येक तख्तों या धातु का ऐंगल बार या अन्य परिच्छेद को संयुक्त परिच्छेद की बल शून्य रेखा के चारों ओर पूर्ण रुप से प्रभावी मान कर निकाला गया है।

(ग) **तार रस्सियां** :–क्षेतिज तार रस्सियों की भंजन सामर्थ्य टनों में जो बाइंडरों के आलम्ब के रूप में प्रयुक्त की गई हैं, $3P_1S_2$ पद द्वारा दी गई भंजन सामर्थ्य से कम नहीं होगी, जहां – P संभरक बगल या संभरक की चौड़ाई, संभरक बगल के भाग पर या संभरक सिरों पर जो बाइंडर द्वारा आलम्बित है प्रतिमीटर लम्बाई में टनों में दाब भार जो क्रमशः इसमें इससे पश्चात सारणी 3 और 4 से निकाला गया है। बाइंडर द्वारा आलम्बित संभरक का ऊर्ध्वाधर विस्तार, बाइंडर के ऊपर और नीचे के आलम्बों के बीच की दूरी का आधा लिया जायेगा।

S_2=प्रत्येक और निकटतम आलम्ब के बीच की दूरी का आधा मीटरों में

(घ) **थामः**–बाइंडरों के आलम्ब के रूप में प्रयुक्त थामों का से०मी० 4 जड़त्व आघर्ण काष्ठ थामों की दशा $\frac{27.00P_1S_2I_1^2}{\cos\theta}$ पद द्वारा दिये गये या इस्पात थामों की दशा में $\frac{1.43P_1S_2I_1^2}{\cos\theta}$ पद द्वारा दिये गये जड़त्व आपूर्ण से कम नहीं होगा जहां P_1 और S_2 के वे ही अर्थ होंगे जो इनके इस पैरा के उपपैरा (ग) में दिये गये हैं।

θ=थाम की क्षेतिज से आनति जो 45 डिग्री से अधिक नहीं होगी।

[I_1=थाम की लम्बाई मीटरों में।

द्वितीय अनुसूची

[नियम 2 (VII) और 19 देखिए]

रोक तख्तों की अपेक्षाएं :–

1—रोक तख्तों की मोटाई 51 मिली मीटर से कम नही होगी और ये अग्र रुद्ध फिट किये जाएंगे जहां आवश्यक हो वहां खड़े खम्बों से आलम्बित होंगे।

2—विभिन्न मोटाई के तख्तों का अधिकतम आलम्ब पाट निम्न प्रकार से होगा :

मोटाई	अधिकतम आलम्ब रहित पाट
(i) 51 मिली मीटर	244 से० मीटर
(ii) 63 मिली मीटर	335 सेन्टी मीटर
(iii) 76 मिली मीटर	395 सेन्टी मीटर

3. सभी रोक तख्तों के सिरे 76 मिली मीटर की बैरिंग लम्बाई के साथ सुरक्षित रूप से बैठाया जाएगा ।

4. जहां 63 मिली मीटर या 76 मिली मीटर के रोक तख्ते प्रयुक्त होते हैं वहां तख्ते खड़े खम्बों के साथ बट-ज्वाईंट किये जा सकते हैं और तख्ते का कम से कम 10 सेंटी मीटर आलम्बित किया जायेगा । जहां 51 मिली मीटर के रोक तख्ते प्रयुक्त होते हैं वहां उनके जोड़ वाले खम्बों पर कम से कम 23 सेंटीमीटर चढ़े होंगे ।

5. जहां स्थायी अन्त रुद्ध प्रभाग विद्यमान नहीं है वहां काष्ठ के उसी मोटाई के भरने वाले टुकड़े जैसे कि रोक तख्ते हैं चरनों के बीच में मजबूती से अन्त रुद्ध फिट कर दिये जायेंगे ।

तृती अनुसूची

[नियम 2(VIII) और 20 देखिये]

1. उस थाम से भिन्न काष्ठ थाम जो उन संभरकों में प्रयुक्त की गई है जिन्हों को प्रथम अनुसूची के पैरा 2 के खंड (घ) की अपेक्षायें लागू होती है एक टुकड़े के होगी और प्रत्येक सिरे पर भली प्रकार से बांधी जाएंगी

2. इस अनुसूची के पैरा 3 और 4 के उपबन्धों के अध्यधीन ऐसी प्रत्येक काष्ठ थाम का न्यूनतम आकार निम्न प्रकार से होगा ।

थाम की लम्बाई मीटरों में	आयताकार परिच्छेद सेन्टीमीटरों में	तृतीय परिच्छेद का व्यास सेंटीमीटरों में
(1) 3.05 मीटर से अधिक नहीं	15.24 × 10.16	13.70
(2) 3.05 मीटर से अधिक किन्तु 4.88 मीटर से अधिक नहीं	15.24 × 15.24	16.50
(3) 4.88 मीटर से अधिक किन्तु 6.10 मीटर से अधिक नहीं	15.24 × 15.24	17.78
(4) 6.10 मीटर से अधिक किन्तु 7.32 मीटर से अधिक नहीं	20.32 × 15.24	19.05
(5) 7.32 मीटर से अधिक किन्तु 8.54 मीटर से अधिक नहीं	20.32 × 15.24	20.32
(6) 8.54 मीटर से अधिक	20.32 × 15.24	21.59

7. 32 मीटर या अधिक के लम्बाई वाले लगभग आधी लम्बाई पर मजबूती से सेतुबन्धित किये जायेंगे ।

3. जहां खड़े खम्बे का ऊर्ध्वाधर आलम्ब रहित पाट 243.84 सेंटीमीटर से कम है या खड़े खम्बों के बीच की क्षेतिज दूरी 396. 24 सेंटीमीटर से कम है वहां थाम का आकार अनुपात: कम किया जा सकता है ।

4. जहां थाम का क्षेतिज से कोण 10 डिग्री से अधिक हो जाता है वहां इस अनुसूची के परा 2 के उपबन्धों के अधीन उस थाम से अगले बड़े आकार का थाम लगाया जाएगा परन्तु किसी थाम और क्षेतिज के बीच का कोण किसी भी दशा में 45 डिग्री से अधिक नहीं होगा ।

चौथी अनुसूची

[नियम 2 (ix) देखिए]

1. रस्सियों के लिये अपेक्षाएं:– जहां किसी अनाज फिटिंग में रस्सियां प्रयुक्त की गई हैं उन संभरकों से भिन्न के सिवाय जिनके लिये नियम 1 के उपनियम (1) में पृथक उपबन्ध बनाए गये हैं, वहां निम्नलिखित उपबन्ध लागू होंगें :—

(क) रस्सियां क्षेतिजत: लगाई जाएंगी और 7.62 सेंटिमीटर परिधि की होगी जस्तेदार लचीले इस्पात की तार रस्सी 6 × 12 की रचना जिसकी मंजन सामर्थ 19.97 टन से कम नहीं हो, होगी ।

(ख) रिगिंग स्क्रू 3.17 सटिमीटर व्यास के होंगे और सुगम स्थानों पर लगाएं जाएंगे

(घ) शकैल 2. 54 सेंटीमीटर की होगी ।

(घ) खड़े खम्बों में से आरपार गये आई बोल्ट 3.17 सेंटीमीटर के होंगे ; और

(ङ) या तो 2.54 सेंन्टीमीटर मोटाई की आई प्लेटस साइड स्ट्रीजंर या फ्रेम में मजबूती से लगाई जाएगी या 2·54सेंटीमीटर की बेड़ियां फ्रेम के आर पार निकाली जाएंगी ।

2. जहां रोक तख्ते फलके की पूरी गहराई तक नहीं जाते वहां रोक तख्ते और उनके खड़ खम्बे इस प्रकार आलम्बित या रस्सी से बांधे जाएंगे कि वे इतनी प्रभावशाली हो जांय जसे कि वे रोक तख्ते जो खाली स्थान की पूरी गहराई तक जाते हैं ।

पांचवी सूची

[नियम 2 (X) और 19 देखिए]

1. खड़े-खम्बों के लिए आपेक्षाएं :—उन खड़े खम्बों के सिवाय जो उन संभरको मे प्रयुक्त किये गये जिनको प्रथम अनुसूची के पैरा 2 के खंड (ख) की अपेक्षाएं लागू होती हैं खड़े खम्बों के केन्द्रों के बीच की क्षेतिज दूरीती द्वितीय अनसूची में उपवर्णित तख्तों के पाट के लिए समचित होगी । ऐसी दूरी किसी भी दशा में 376 सेंटीमीटर से अधिक नहीं होगी । जब तक कि खड़े खम्बो को

अपने-अपने केन्द्रों में से हटाने को रोकने के लिये उपाय न किये गये हों, प्रत्येक सिरे पर खड़े खम्बों के छिद्र की प्रत्येक गहराई 76 मिली मीटर से कम नहीं होगी । यदि खड़ा खम्बा ऊपर सिरे पर नहीं बांधा गया हो तो सबसे ऊपर का थाम या रस्सी डैक या खड़े खम्बे की चोटी से 549 सेंटिमीटर से अधिक नीची नहीं होगी ।

2. काष्ठ थामों द्वारा जो तृतीय अनुसूची की अपेक्षाओं का अनुपालन करते हैं या तार की रस्सियों द्वारा जो चतुर्थ अनुसूची की अपेक्षाओं का अनुपालन करती है प्रत्येक और आलम्बित किसी खड़े खम्बे का ऊर्ध्वाधर आलम्ब रहित पाट या तो थामों और रस्सियों के बीच की दूरी होगा या खम्बे के सिरे से निकटतम थामों या रस्सी, जो भी बड़ी हो, तक की दूरी होगा ।

3. काष्ठ के खड़े खम्बे दो तख्तों के होंगे जो रोके तख्तों के दोनों ओर लगे होंगे । व एकांतार तख्ते पर रोल्ड पैटर्न में आरपार बोल्ट किये जाएंगे और निम्न सारणी 1 में दी गई घटक मापों के अनुरूप होंगे, अर्थात् :—

सारणी

दोहरे काष्ठ तख्तों के खड़े खम्बों के घटक माप—सेंटिमीटर में

ऊर्ध्वाधर आलम्ब सहित पाट मीटरों में	खड़े खम्बों के केन्द्रीय के बीच की क्षतिज दूरी मीटरों में				
	2	2. 5	3	3. 5	4
फलकें					
2	25×5	25×5	25×5	25×5	25×5
2.5	25×5	25×5	23+7.5	23×7.5	23×7.5
3	23×7.5	23×7.5	23×7.5	23×7.5	28×7.5
3.5	23×7.5	23×7.5	28×7.5	28×7.5	23×10
4	28×7.5	28×7.5	23×10	23×10	30×10
4.5	23×10	23×10	23×10	30×10	30×10
5	23×10	23×10	30×10	30×10	30×10
5.5	23×10	23×10	30×10	30×10	—
	30×10	30×10	30×10	—	—
6.5	30× 10	30× 10	—	—	—

टिवन डैक और अधिसंर-रचनाएं

2	25×5	25×5	25+5	25×5	25× 5
2.5	25×5	25×5	23×7.5	23×7.5	23×7.5
3	23× 7.5	23×7.5	28×7.5	28×7.5	28×7.5
3.5	28×7.5	28×7.5	28×7.5	23×10	23×10
4	28×7.5	23×10	23×10	30×10	30 10
4.5	23×.10	23×10	30×10	30×10	30×10
5	23×10	30×10	30×10	30×10	----
5.5तक	30×10	30×10	----	----	----
क्षैतिज तख्तों की मोटाई-सें० मीटरों में	5	5	6	7.5	7.5

टिप्पणी :--मध्य वर्तीय ऊर्ध्वाधिर पाट पर या क्षैतिज दूरियों पर उससे अलग उच्चतर पाट को लागू घटक माप लागू होंगे।

(4) इस्पात के खड़े खम्भे सारणी 2 में दिये गये परिच्छेद मापांक के अनुरूप होंगे अर्थात् :--

सारणी-2

इस्पात के खड़े खम्बों का परिच्छेद मापांक-धन सेन्टीमीटरों में

ऊर्ध्वाधर आलम्ब रहित पाट-मीटर में

खड़े खम्बों के केन्द्रों के बीच की क्षेतिज दूरी-मीटरों में

	2	2.5	3	3.5	4
फलकें					
2	27.86	34.82	41.79	48.75	55.72
2.5	37.36	46.70	56.04	65.38	74.72
3	51.94	64.92	77.91	90.89	103.87
3.5	66.51	83.13	99.76	116.39	133.02
4	81.09	101.36	121.63	141.90	162.17
4.5	95.66	119.57	143.49	167.40	191.32
5	110.24	137.80	166.38	192.92	220.48
5.5	124.82	156.03	187.23	218.43	249.63
6	139.39	174.24	209.09	243.93	278.78
6.5	153.93	192.46	230.96	269.45	307.94
7	168.54	210.67	252.71	294.95	337.09
7.5	183.12	228.90	274.69	320.47	366.25
8	197.80	247.12	296.55	345.97	395.40
8.5	212.27	265.34	318.41	371.48	424.56
9	226.85	283.56	340.28	396.99	453.71
9.5	241.42	301.78	362.14	422.50	482.86
10	256.00	320.00	384.01	448.01	512.02
10.5	270.58	338.22	405.87	473.52	541.17
11	285.16	356.45	427.74	499.03	570.32
11.5	299.73	374.67	449.61	524.54	599.48
12	314.31	392.89	471.47	550.05	628.63
12.5 तक	328.89	411.12	493.34	575.56	657.78

ट्रिवन डैक और अभि-संरचनाएं					
2	32.45	40.56	48.67	56.79	64.90
2.5	43.92	54.90	65.88	76.87	87.84
3	54.57	68.21	81.85	95.50	109.14
3.5	71.94	89.92	107.91	125.89	143.88
4	90.17	112.71	135.26	157.80	180.34
4.5	108.40	135.50	162.60	189.70	216.80
	126.63	158.29	189.95	221.61	252.26
5.5 तक	144.86	181.97	217.28	253.50	289.72
क्षेतिज तख्तों की मोटाई सन्टीमीटरों में					
	5	5	6	7	7

टिप्पण : मध्यवर्ती ऊर्ध्वाधर पाट पर या क्षेतिज दूरियों पर इस्पात के खड़े खंभों का परिच्छेद मापांक अन्तर्वेशन द्वारा निकाला जाएगा ।

(5) जहां खड़े खम्बे दो एंगल बोरों या अन्य परिच्छेदों से बनाए गये हैं जो रोक तख्तों के प्रत्येक ओर लगे हैं और एकान्तर बोर्ड पर आरपार बोल्ट किये गये हैं वहां प्रभावी परिच्छद मापांक उस परिच्छेद मापांक का 70 प्रतिशत लिया जायेगा जो प्रत्येक एंग्लबार या परिच्छेद को संयुक्त परिच्छेद की बल शून्य रेखा के चारों ओर पूर्ण रूप से प्रभावी मान कर निकाला गया है ।

(6) इस्पात से भिन्न धातु से संनिर्मित खड़े खम्बे, इसमें इससे पूर्व उपवर्णित सारणी 2 में निर्दिष्ट खड़े खम्बों की शक्ति से समतुल्य होंगे ।

[छठी अनुसूची]

[नियम 5(4) देखिये)]

अनाज रिक्त स्थान प्रभावों के लिये संभरक की बलकेन्द्री ऊंचाई की शुद्धि की रीतियां:

अनाज रिक्त स्थान प्रभावों के लिये प्रत्येक संभरक की से०मी० में बलकेंद्रीय ऊंचाई, की शुद्धि निम्नलिखित सूत्र के अनुसार की जायगी, अर्थात्, $\frac{15 \times LB^{\frac{1}{2}}}{C \times D}$

जहां—

L=संभरक की लम्बाई मीटरों में,

B=संभरक की चौड़ाई मीटरों में,

C=पोत का विस्थापन-टनों में, और

D=प्रश्नगत अनाज स्थोरा का नौभरण दर, घनमीटर प्रति टन में ।

सातवीं अनुसूची

(नियम 15 देखिए)

अच्छे मौसम और खराब मौसम वाली ऋतु

इन नियमों के प्रयोजनों के लिये—

(1) "**अच्छा मौसम वाली ऋतु**" या अच्छे मौसम पद से जहां कहीं भी यह आता है यह अभिप्रेत होगा—

(क) अरब समुद्र में, प्रथम सितम्बर, से 31 मई तक की ऋतु, और

(ख) बंगाल की खाड़ी में, प्रथम दिसम्बर, से 30 अप्रेल तक की ऋतु

(2) "**खराब मौसम वाली ऋतु**" या खराब मौसम ' पद से, जहां कहीं भी यह आता है यह अभिप्रेत होगा—

(क) अरब समुद्र में, प्रथम जून से 31 अगस्त तक की ऋतु,

(ख) बंगाल की खाड़ी में प्रथम मई से 30 नवम्बर, तक की ऋतु ।

[सं० फा० 30–एम० डी० (1)/68/एम० एल०]

जसवन्त सिंह,

अवर सचिव, भारत सरकार ।

DEPARTMENT OF COMMUNICATIONS

(P. & T. Board)

New Delhi, the 11th November 1970

G.S.R. 101.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regarding the method of recruitment to the post of Welfare Officers in the Posts and Telegraphs Department, namely:—

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Posts and Telegraphs Welfare Officers (Recruitment) Rules, 1970.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Application.**—These rules shall apply to the posts as specified in column 1 of the Schedule annexed hereto.

3. **Number of posts, classification and scale of pay.**—The number of posts, their classification and the scales of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the said Schedule.

4. **Method of recruitment, age limit, qualifications, etc.**—The method of recruitment to the said post, age limit, qualifications and other matters connected therewith shall be as specified in columns 5 to 13 of the Schedule aforesaid.

5. **Power to relax.**—Where the Central Government is of opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules in respect of any class or category of persons.

THE

Name of Post	No. of Posts	Classification	Scale of pay	Whether Selection Post or non-Selection Post	Age for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits.
1	2	3	4	5	6	7
Posts & Telegraphs Welfare Officer	19	General Central Service Class II, Gazetted, Non-Ministerial	Rs. 350-25 500-30-590-EB-30-800-EB-30-830-35-900	Selection	Not applicable	Not applicable

NOTE—(i) These officers shall be required to appear in a preliminary qualifying test. The will be decided by the Director General, Posts & Telegraphs. The cases of Promotion Committee.

(ii) For purposes of eligibility, the officers should possess at least a degree of a of age on the 1st July of the year of selection.

(iii) Preference will be given to those possessing a Post-graduate Diploma in qualification.

SCHEDULE

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recuits will apply in the case of Promotees	Period of probation if any	Method of recruitment whether by direct rectt. or by promotion or by deputation/ tranfer & percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion/deputation/transfer, grades from which promotion/ deputation/transfer to be made	If a DPC exists, what is its composition	Circumstances in which UPSC is to be consulted in making recruitment
8	9	10	11	12	13
Not applicable	Two years	By promotion	*Promotion :* (i) Welfare Inspectors or those who have worked as Welfare Inspectors with 3 years service in the grade (ii) Other Posts & Telegraph employees with 7 years service in the Departmen and who are in the scale of pay, the maximum of which is not below Rs. 350.	Class II Departmental Promotion Committee	As required under the Union Public Service Commission (Exemption from Consultation) Regulations 1958.

manner and method of holding the qualifying test (including viva-voce test) successful candidates would be examined by a duly constituted Departmental

recognised University or equivalent qualification and should be below 50 years

ndustrial Psychology, Industrial Welfare, Industrial Relations or equivalent

[No. 22/10/68-SPA.II.]

K. D. SRIVASTAVA,
Assistant Director General,
Posts and Telegraphs.

संचार विभाग

(डाक तार बोर्ड)

नई दिल्ली, 11 नवम्बर 1970

सा० का० नि० 101.—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति एतद्द्वारा डाक तार विभाग में कल्याण अधिकारी के पद पर भर्ती की पद्धति के संबंध में निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) ये नियम डाक तार कल्याण अधिकारी (भर्ती) नियम, 1970 कहे जा सकते हैं।

(2) ये शासकीय राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **लागू होना.**—ये नियम इससे उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ 1 में यथा विनिर्दिष्ट पदों को लागू होंगे ।

3. **पदों की संख्या, वर्गीकरण, और वेतनमान** :—पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतनमान वे होंगे जो उक्त अनुसूची के स्तंभ 2 से 4 तक में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. **भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं आदि** .—उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ 5 से 13 तक में विनिर्दिष्ट हैं ।

5. **शिथिल करने की शक्ति**.—जहां केन्द्रीय सरकार की राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है वहां वह, उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लिपिबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को, किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

(अनुसूची)

पद का नाम	पदों का संख्या	वर्गीकरण	वेतन–मान	चयन पद अथवा अचयन पद
1	2	3	4	5
डाक तार कल्याण अधिकारी	19	साधारण केन्द्रीय सेवा वर्ग 2, राजपत्रित, अधुसचिवीय	350–25–500–30–590–द० रो० 30–800–द० रो०–30–830–35–900–द०	चयन

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नतों की दशा में लागू होगी या नहीं	परिवीक्षा की कालावधि यदि कोई हो
6	7	8	9
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

भर्ती की पद्धति/भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जायगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
10	11	12	13
प्रोन्नति द्वारा	प्रोन्नति (i) कल्याण निरीक्षक या वे जिन्होंने उस ग्रेड में 3 वर्ष की सेवा सहित, कल्याण निरीक्षकों के रूप में कार्य किया है । (ii) अन्य डाक तार कर्मचारी जिन्होंने विभाग में 7 वर्ष सेवा की है और जो ऐसे वेतनमान पर हैं जिसका अधिकतम 350/–रु० से कम नहीं है ।	वर्ग 2 विभागीय प्रोन्नति समिति	संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श से छूट) विनियम, 1958 के अधीन यथा अपेक्षित

टिप्पण–(i) इन अधिकारियों को प्रारंभिक अर्हक परीक्षण में बैठना होगा । अर्हक परीक्षण (जिसमें मौखिक परीक्षण सम्मिलित है) लेने की रीति और पद्धति महानिदेशक डाक तार द्वारा विनिश्चित की जाएगी । सफल अभ्यर्थियों के मामलों की सम्यक्रम से गठित विभागीय प्रोन्नति समिति द्वारा जांच की जाएगी ।

(ii) पात्रता के प्रयोजन के लिए अधिकारी के पास मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय की कम से कम डिग्री या समतुल्य अर्हताएं होनी चाहिए और चयन के वर्ष की प्रथम जुलाई को उसकी आयु 50 वर्ष से कम होनी चाहिए ।

(iii) उन्हें अधिमानता दी जाएगी जो औद्योगिक मनोविज्ञान, औद्योगिक कल्याण, औद्योगिक संबंध में स्नातकोत्तर डिप्लोमा या समतुल्य अर्हता रखते हों ।

[सं 22/10/68-एस पी ए. II]

के० डी० श्रीवास्तव,
सहायक महानिदेशक
डाक तार ।

PRIME MINISTER'S SECRETARIAT

New Delhi, the 2nd January 1971

G.S.R. 102.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to Class III posts in the Prime Minister's Secretariat, namely:—

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Prime Minister's Secretariat (Class III posts) Recruitment Rules, 1970.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Application.**—These rules shall apply to the posts specified in column 1 of the Schedule annexed hereto.

3. **Number of posts, classification and scale of pay.**—The number of posts, their classification and the scales of pay attached thereto shall be specified in columns 2 to 4 of the said Schedule.

4. **Method of recruitment, age limit and other qualifications.**—The method of recruitment to the said posts, age limit, qualifications and other matters relating thereto, shall be as specified in columns 5 to 13 of the said Schedule:

Provided that the upper age limit prescribed for direct recruitment may be relaxed in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time.

5. **Disqualifications.**—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to any of the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. **Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons/posts.

THE

Recruitment Rules for the posts of Senior Gestetner Operator staff Car Driver and

Name of Post	No. of posts	Classification	Scale of pay	Whether Selection Post or non-Selection Post	Age for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits
1	2	3	4	5	6	7
1. Senior Gestetner Operator	1	General Central Service, Class III Ministerial Non-Gazetted	110-3-131	Non-Selection	Not applicable	1. Not applicable 2 *Essential* : Possession of a valid driving licence for motor cars, knowledge of motor mechanics and experience of driving a motor car for at least five years.
2. Staff Car Driver	4	General Central Service, Class III Non-Ministerial Non-Gazetted.	Rs. 110-3-131-4-155-EB-4-175-5-180	Not applicable	23 to 30 years	*Desirable* : A pass in the 8th standard.
3. Despatch Rider	2	General Central Service, Class III Non-Ministerial Non-Gazetted.	Rs. 110-3-131-4-139	Not applicable	23 to 30 years.	3. *Essential*: Possession of a valid driving licence for motorcycle/scooter and experience of driving a motor cycle/ scooter for at least three years *Desirable*: A pass in the 8th standard.

SCHDULE

Despatch Rider

Whether age and education qualifications prescribed for any direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if	Method of recrtt. whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/tranfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion/deputation/transfer, grades from which promotion/deputation/transfer to be made	If a D. P. C. exists, what is its composition	Circumstances in which UPSC is to be consulted in making recruitment.
8	9	10	11	12	13
Not applicable	Two years	By promotion	1. By promotion from Junior Gestetner Operator in the Prome Minister's Secretariat with three years service in the grade and proficiency in the handling of Gestetner Machines.	Not applicable	Not applicable
Not applicable	Two years	By tranfer, failing which by direct recruitment	2. By transfer, on the results of a test in driving designed to adjudge suitability for the post with reference to standards of competence considered essential in Drivers of Staff Cars, from amongst the regular Despatch Riders (Class III) and Class IV emloyees of the Prime Minister's Secretariat possessing the qualifications specified in column 7.	Not applicable	Not applicable
Not applicable	Two years	By transfer, failing which by direct recruitment	3. By transfer, on the results of a test in driving designed to adjudge suitability for the post with reference to standards of competence considered essential in drivers of motor cycles, from amongst Class IV employees of Prime Minister's Secretariat possessing the qualificaons specified in column 7.	Not applicable	Not applicable

[No. F. 61/72/70-PMA(i).]

प्रधान मंत्री सचिवालय

नई दिल्ली, 2 जनवरी, 1971

जी० एस० आर० 102.—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति एतद्द्वारा प्रधान मंत्री के सचिवालय में वर्ग 3 के पदों पर भर्ती की पद्धति को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ** :—(1) ये नियम प्रधान मंत्री के सचिवालय के लिए (वर्ग के पद) भर्ती नियम, 1970 कहे जा सकेंगे ।

(2) ये शासकीय राजपत्र के अपने प्रशासन की तारीख को प्रवृत्त हो जाएंगे ।

2. **लागू होना.**—ये नियम इससे उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ 1 में विनिर्दिष्ट पदों को लागू होंगे ।

3. **पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान**—पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनसे सम्बद्ध वेतनमान वे होंगे जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ 2 से 4 तक में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. **भर्ती की पद्धति, आयु सीमा और अन्य अर्हताएं.**—भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उन से सम्बद्ध अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से 13 तक में विनिर्दिष्ट है :

परन्तु अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों और अन्य विशेष व्यक्ति—प्रवर्गों के अभ्यर्थियों की दशा में सीधी भर्ती के लिए विहित उच्चतम आयु सीमा समय-समय पर निकाले गए केन्द्रीय सरकार के आदेशों के अनुसार शिथिल की जा सकेंगी ।

5. **निरर्हताएं.**—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए, किसी व्यक्ति से विवाह किया है;

सेवा में नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार मौजूद हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

6. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहां केन्द्रीय सरकार की राय है कि ऐसा आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लिपिबद्ध करके आदेश द्वारा व्यक्तियों/पदों के किसी वर्ग या प्रवर्ग के बारे में इन नियमों के उपबंधों में से किसी को भी शिथिल कर सकेगी ।

अनु

प्रधान मंत्री के

ज्येष्ठ गेसटेटनर, स्टाफ कार ड्राइवर और

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयनपद अथवा अचयन-पद	सीधे भर्तियों के लिए आयु सीमा	सीधी भर्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षणिक और अन्य अर्हताएं
1	2	3	4	5	6	7
1. ज्येष्ठ गेस्टेटनर प्रचालक।	1	साधारण केन्द्रीय सेवा वर्ग-3 सचिवीय अराजपत्रित।	110–3–131 रु०।	अचयन	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।
2 कर्मचारीवृन्द स्टाफ कार चालक।	4	साधारण केन्द्रीय सेवा वर्ग–3 अनु-सचिवीय अराजपत्रित।	110–3–131–4–155–द०रो०–4–175–5–180 रु०।	लागू नहीं होता।	23 से 30 वर्ष।	**आवश्यक :** मोटर कारों के लिए विधिमान्य अनुज्ञाप्ति, मोटर यान्त्रिकी का ज्ञान और न्यूनतम 5 वर्ष का मोटरकार चलाने का अनुभव। **वांछनीय :** आठवें स्तर पास।

सूची

सचिवालय के लिए

सवार हरकारे के लिए भर्ती नियम

क्या सीधी भर्ती वालों के लिए विहित आयु और शैक्षणिक अर्हताएं प्रोन्नतों की दशा में लागू होंगी।	परिवीक्षा की कालावधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति, क्या भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति द्वारा या, प्रतिनियक्ति/अन्तरण द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/अन्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिन से प्रोन्नति/प्रतिनियक्ति/अन्तरण किया जाना है	यदि विभागीय समिति विद्यमान है तो उसकी संरचना क्या है ।	वे परिस्थितियां जिनमें भर्ती करने में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना है
8	9	10	11	12	13
लागू नहीं होता ।	दो वर्ष	प्रोन्नति द्वारा	प्रधान मन्त्री के सचिवालय में उन कनिष्ठ गेस्टेटनर प्रचालकों में से प्रोन्नति द्वारा जो गेस्टेटनर मशीनों को चलाने के प्रवीण हों और श्रेणी में 3 वर्ष की सेवा हो ।	लागू नहीं होता ।	लागू नहीं होता ।
लागू नहीं होता ।	दो वर्ष ।	प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा ।	प्रधान मंत्री के सचिवालय के वर्ग-3 और वर्ग-4 के कर्मचारियों में से सवार हरकारे कर्मचारियों, जो स्तम्भ 7 में विनिर्दिष्ट अर्हताएं रखते हैं और जो कार चालकों के लिए आवश्यक समझे जाने वाले क्षमता के	लागू नहीं होता ।	लागू नहीं होता ।

1	2	3	4	5	6	7
3 सवार हरकारा	2	साधारण केन्द्रीय सेवा वर्ग III अनु-सचिवीय, अराजपत्रित	110—3—131—4—139	लागू नहीं होता	23 से 30 वर्ष	3. **आवश्यक:**—मोटर साईकल/स्कूटर चालक की विधिमान्य अनुज्ञप्ति रखता हो और न्यूनतम 3 वर्ष का मोटर साईकल/स्कूटर चलाने का अनुभव। **वांछनीय:**—आठवें स्तर पास।

8	9	10	11	12	13
			मानकों के अनुसार इस पद के लिए मोटर चलाने के परीक्षण में योग्य पाए जाने पर स्थानान्तरण द्वारा ।		
लागू नहीं होता	2 वर्ष	स्थानांतरण द्वारा, जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा ।	3. इस सचिवालय के वर्ग-4 के कर्मचारियों में से ऐसे व्यक्ति जो स्तम्भ 7 में विनिर्दिष्ट अर्हताएं रखते हों और जिन्होंने मोटर-साईकल चालकों के लिए आवश्यक समझी-जाने वाले क्षमता के मानकों के अनुसार इस पद के लिए मोटर साईकिल चलाने के परीक्षण के योग्य पाये जाने पर स्थानांतरण द्वारा ।	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

[सं०एफ० 61/72/70-पी०एम०ए० (i)]

G.S.R. 103.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment Class IV posts in the Prime Minister's Secretariat, namely :—

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Prime Minister's Secretariat (Class IV posts) Recruitment Rules, 1970.

(2) They shalll come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Application.**—These rules shall apply to the posts specified in column 1 of the Schedule annexed hereto.

3. **Number of posts, classification and scales of pay.**—The number of posts, their classification and the scales of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the said Schedule.

4. **Method of recruitment, age limit and other qualifications.**—The method of recruitment to the said posts, age limit, qualifications and other matters, relating thereto shall be as specified in columns 5 to 13 of the said Schedule:

Provided that the upper age limit prescribed for direct recruitment may be relaxed in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time.

5. **Interchangeability of posts.**—The posts having indentical scales of pay and qualification and similar duties may be declared interchangeable by the competent authority.

Explanation.—For the purposes of this rule, 'competent authority' means 'an authority which is competent to create such posts.'

6. **Disqualification.**—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to any of the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

7. **Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons/posts.

THE

Recruitment Rules for the Posts of Junior Gestetner

Name of posts	No. of posts	Classification	Scale of pay	Whether Selection Post or non-selection Post	Age for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits
1	2	3	4	5	6	7
1. Junior Gestetner Operator	1	General Central Service Class IV (Non-gazetted)	Rs. 80-1-85 2-95-EB-3-110.	Non-Selection	Not applicable	Not applicable
2. Selection Grade Daftry (Record Sorter)	1	General Central Service. Class IV (Non-gazetted)	Rs.80-1-85-2-95-EB-3-110.	Non-Selection	Not applicable	Not applicable

SCHEDULE

Operator and Selection Grade Daftry

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation if any	Method of rectt. whether by direct rectt. or by promotion or by deputation/ transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion/ deputation/transfer grades from which promotion/ deputation/ tranfer to be made	If a D. P. C. exists, what is its composition	Circumstances in which UPSC is to be consulted in making recruitment
8	9	10	11	12	13
Not applicable	Two years	By promotion	1. By promotion from Daftries/ Jamadars who have rendered at least 3 years continuous service in that capacity and have proficiency in operating and maintaining geatetener machines.	Not applicable	Not applicable
Not applicable	Two years	By promotion	2. Daftries who have rendered at least three years' continuous service in that capacity.	Not applicable	Not applicable

Recruitment Rules for the Post of

Name of Post	No. of posts	Classification	Scale of pay	Whether Selection Post or non Selection Post	Age for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits.
1	2	3	4	5	6	7
3. Daftry	11	General Central Service ClassIV (Non-gazetted)	Rs.75-1-85-EB-2-95	Non-Selection	25 years and below	Middle school Standard Pass
4. Jamadar	6	General Central Service Class IV (Non-gazetted)	Rs. 75-1-85-EB-2-95	Non-Selection	Not applicable	Not applicable
5. Peon	48	General Central Service Class IV (Non-gazetted)	Rs. 70-1-80-EB-1-85	Not applicable	25 years and below	Middle School Standard Pass.

Daftry, Jamadar and Peon

Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recrt. whether by direct recrt. or by promotion or by deputation/transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion/deputation/transfer, grades from which promotion/deputation/transfer to be made	If a D. P.C. exists, what is its composition	Circumstances in which UPSC is to be consulted in making recruitment
8	9	10	11	12	13
Not applicable	Two years	By promotion failing which by transfer. Failing both by direct recruitment.	Promotion of Peons who have rendered at least three years service in that capacity.	Not applicable	Not applicable
Not applicable	Two years	By promotion	Promotion of Peons who have rendered at least three years service in that capacity	Not applicable	Not applicable
Not applicable	Two years	By transfer, failing which by direct recruitment	By transfer of persons holding similar or equivalent posts in Central Government offices and possessing qualifications specified in column 7.	Not applicable	Not applicable

Recruitment Rules for the Posts of

Name of Post	No. of posts	Classification	Scale of pay	Whether Selection Post or non-Selection Post	Age for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits
1	2	3	4	5	6	7
6. Farash	2	General Central Service, Class IV (Non-gazetted)	Rs. 70-1-80-EB-1-85	Not applicable	25 years and below	*Desirable*:—A pass in the primary school standard.
7. Sweeper	5	General Central Service, Class IV (Non-gazetted)	Rs. 70-1-80-EB-1-85	Not applicable	25 years and below	*Desirable*:—A pass in the primary school standard.

Farash and Sweeper

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation if any	Method of rectt. whether by direct rectt. or by promotion or by deputation/ transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion/deputation/transfer, grades from which promotion/ deputation/transfer to be made	If a D.P.C. exists, what is its. composition	Circumstances in which UPSC is to be consulted in making recruitment
8	9	10	11	12	13
Not applicable	Two years	Direct rectt. failing which by transfer	By transfer of persons holding similar/ equivalent posts in the Central Government.	Not applicable	Not applicable
Not applicable	Two years	Direct recruitment, failing which by transfer	By transfer of persons holding similar/ equivalent posts in the Central Government.	Not applicable	Not applicable

[No. F. 61/72/70-EMA (ii).]

R. K. GOEL,

Private Secretary to the Prime Minister.

जी०एस०आर० 103.—सं विधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति एतदद्वारा प्रधान मंत्री के सचिवालय में वर्ग–4 के पदों पर भर्ती को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात :

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) ये नियम प्रधान मंत्री के सचिवालय (वर्ग–4 के पद) भर्ती नियम, 1970 कहे जा सकेंगे ।

(2) ये शासकीय राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त हो जाएंगे ।

2. **लागू होना.**—ये नियम इससे उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ 1 में विनिर्दिष्ट पदों को लागू होंगे ।

3. **पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान.**—पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके सम्बद्ध वेतनमान वे होंगे जो इससे उपाबद्ध उक्त अनुसूची के स्तम्भ 2 से 4 तक में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. **भर्ती की पद्धति, आयु सीमा और अन्य अर्हताएं.**—उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उनसे सम्बद्ध अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से 13 तक में विनिर्दिष्ट हैं :

परन्तु अनुसूचित जन जातियों और अन्य विशेष व्यक्ति—प्रवर्गों के अभ्यर्थियों की दशा में, सीधी भर्ती के लिए विनिर्दिष्ट उच्चतम आयु सीमा समय-समय पर निकाले गए केन्द्रीय सरकार के आदेशों के अनुसार शिथिल की जा सकेगी ।

5. **पदों का अदल बदल.**—ऐसे पद जिनके एकरूप वेतनमान तथा अर्हताएं हों और समरूप ड्यूटी हो, समक्ष प्राधिकारी द्वारा अदल बदल के लिए घोषित किए जा सकते हैं ।

स्पष्टीकरण : इस नियम के उद्देश्यों के लिए 'सक्षम प्राधिकारी' का अर्थ है । ऐसे प्राधिकारी जो ऐसे पदों की रचना करने में सक्षम हैं ।

6. **निर्हताएं.**—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए, किसी व्यक्ति से विवाह किया है ;

सेवा में नियुक्ति का पात्र नहीं होगा ।

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार मौजूद हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

7. **शिथिल करने की शक्ति** . जहां केन्द्रीय सरकार की राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लिपिबद्ध करके आदेश द्वारा व्यक्तियों या पदों के किसी वर्ग या प्रवर्ग के बारे में इन नियमों के उपबंधों में से किसी को भी शिथिल कर सकेगी ।

अनु

प्रधान मंत्री

कनिष्ठ गेस्टेटनर प्रचालक और चयन

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधी भर्ती वालों के लिए आयु सीमा	सीधी भर्ती वालों के लिए अपेक्षित शैक्षणिक और अन्य अर्हताएं
1	2	3	4	5	6	7
1 कनिष्ठ गेस्टेटनर प्रचालक	1	साधारण केन्द्रीय सेवा वर्ग–4 (अराजपत्रित)	80–1–85–2–95–द० रो०–3–110 रु०	अचयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
2 चयन श्रेणी दफ्तरी (अभिलेख छंटाई-कार)	1	साधारण केन्द्रीय सेवा, वर्ग–4 (अराजपत्रित)	80–1–85–2–95–द० रो०–3–110 रु०	अचयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सूची

का सचिवालय

श्रेणी दफ्तरी के पदों के लिए भर्ती नियम

क्या सीधी भर्ती वालों के लिए विहित आयु और शैक्षणिक अर्हताएं/प्रोन्नति की दशा में लागू होगी	परिवीक्षा की कालावधि यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति, क्या भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/अन्तरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/अन्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/अन्तरण किया जाना है	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान है तो उसकी संरचना क्या है	वे परिस्थितियां जिनमें भर्ती करने में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना है
8	9	10	11	12	13
लागू नहीं होता	2 वर्ष	प्रोन्नति द्वारा,	ऐसे दफ्तरी/जमेदारों को प्रोन्नति द्वारा, जिन्होंने उसी हैसियत में न्यूनतम 3 वर्ष की निरंतर सेवा की हो और जिनको गेस्टेटनर मशीनों के प्रचालक और अनुरक्षण प्रवीणता प्राप्त हो।	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
लागू नहीं होता	2 वर्ष	प्रोन्नति द्वारा	दफ्तरी जिन्होंने उसी हैसियत में न्यूनतम 3 वर्ष की सेवा हो	लागू होता	लागू होता

दफ्तरी, जमादार, चपरासी के पदों

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधी भर्ती वालों के लिए आयु सीमा	सीधी भर्ती वालों के लिए अपेक्षित शैक्षणिक और अन्य अर्हताएं
1	2	3	4	5	6	7
3 दफ्तरी	11	साधारण केन्द्रीय सेवा वर्ग–4 (अराजपत्रित)	75–1–85–द० रो०–2–95 रु०	अचयन	25 वर्ष और उससे कम	मिडल स्कूल स्तर पास
4 जमादार	6	साधारण केन्द्रीय सेवा वर्ग–4 (अराजपत्रित)	75–1–85–द० रो०–2–95 रु०	अचयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
5 चपरासी	48	साधारण केन्द्रीय सेवा वर्ग–4 (अराजपत्रित)	70–1–80–द० रो०–1–85 रु०	अचयन	25 वर्ष और उससे कम	मिडिल स्कूल स्तर पास

के लिए भर्ती नियम

क्या सीधी भर्ती वालों के लिए विहित आयु और शैक्षणिक अर्हताएं/प्रोन्नति की दशा में लागू होगी	परिवीक्षा की कालावधि कोई हो	भर्ती की पद्धति, क्या भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/अन्तरण द्वारा, तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/अन्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति अन्तरण किया जाना है	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान है तो उसकी संरचना क्या है	वे परिस्थितियां जिनमें भर्ती करने में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना है
8	9	10	11	12	13
लागू नहीं होता	दो वर्ष	प्रोन्नति द्वारा, जिसके हो सकने पर स्थानान्तरण द्वारा दोनों के न होने पर सीधी भर्ती द्वारा	ऐसे चपरासियों की प्रोन्नति द्वारा जिन्होंने उस हैसियत में न्यूनतम 3 वर्ष की सेवा की हो।	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
लागू नहीं होता	दो वर्ष	प्रोन्नति द्वारा	ऐसे चपरासियों की प्रोन्नति द्वारा जिन्होंने उस हैसियत में न्यूनतम 3 वर्ष सेवा की हो।	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
लागू नहीं होता	दो वर्ष	स्थानान्तरण द्वारा जिसके न हो सकने पर, सीधी भर्ती द्वारा	ऐसे चपरासियों के स्थानान्तरण द्वारा जो केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में समरूप या समतुल्य पदों के धारक हैं और स्तम्भ 7 में विनिर्दिष्ट अर्हताएं रखते हैं	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

फराश और झाड़ूकश के पदों

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधी भर्ती वालों के लिए आयु सीमा	सीधी भर्ती वालों के लिए अपेक्षित शैक्षणिक और अन्य अर्हताएं
1	2	3	4	5	6	7
6 फराश	2	साधारण केन्द्रीय सेवा वर्ग–4 (अराजपत्रित)	70–1–80–द० रो०–1–85 रु०	लागू नहीं होता	25 वर्ष और उससे कम	वांछनीय—प्राइमरी स्कूल स्तर पास
7 झाड़ूकश	5	साधारण केन्द्रीय सेवा वर्ग–4 (अराजपत्रित)	70–1–80–द०रो०–1–85 रु०	लागू नहीं होता	25 वर्ष और उससे कम	वांछनीय—प्राइमरी स्कूल स्तर पास

के लिए भर्ती नियम

क्या सीधी भर्ती वालों के लिए विहित आयु और शैक्षणिक अर्हताएं/प्रोन्नति की दशा में लागू होगी	परिवीक्षा की कालावधि यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति, क्या भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/अन्तरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/अन्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/अन्तरण किया जाना है	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान है तो उसकी संरचना क्या है	वे परिस्थितियां जिनमें भर्ती करने में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना है
8	9	10	11	12	13
लागू नहीं होता	दो वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा, जिसके न हो सकने पर स्थानान्तरण द्वारा	केन्द्रीय सरकार में समरूप/समतुल्य पदों के धारक व्यक्तियों के स्थानांतरण द्वारा	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
लागू नहीं होता	दो वर्ष	यथोक्त	यथोक्त	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

[सं० एफ० 61/72/70-पी० एम० ए० (ii)]

राज कृष्ण गोयल,
प्रधान मंत्री जी के निजी सचिव।

MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

New Delhi, the 23rd November 1970

G.S.R. 104.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and all other powers enabling him in this behalf, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the Information Service of India posts in the Ministry of External Affairs, namely:—

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Ministry of External Affairs Information Service of India Recruitment Rules, 1970.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Application.**—These rules shall apply to the posts specified in column 1 of the Schedule hereto.

3. **Number of posts, classification and scale of pay.**—The number of posts, the classification thereof and the scales of pay attached thereto shall be specified in columns 2 to 4 of the said Schedule.

4. **Method of recruitment, age limit, qualifications etc.**—Subject to rule 5, the method of recruitment to the said posts, age limit, qualification and other matters connected therewith shall be as specified in columns 5 to 13 of the Schedule aforesaid.

5. **Powers to hold posts in abeyance or to absorb them in the Indian Foreign Service Branch (A) or Branch (B).**—(1) The Central Government may hold in abeyance any permanent or termporary post included in the said Schedule.

(2) Any post in any grade included in the said Schedule may, at the discretion of the Central Government, be filled by appointment of an officer of the Indian Foreign Service Branch (A) or of the Indian Foreign Service Branch (B):

Provided that the said discretion by the Central Government shall not be exercised to the prejudice of any officer in the Information Service of India who is qualified for appointment to said post.

6. **Disqualification.**—No person,—(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,—shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

7. **Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may by order for reasons to be recorded in writing, and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons or of posts.

THE SCHEDULE

	I	II
1. Name of Post	Director Information Service of India/Director Press Relations, at Headquarters/Public Relations Officer in Missions abroad.	Information Officer at Headquarters/ Press Attache in Missions abroad.
2. No. of Posts	8	20

	I	II
3. Classification . . .	General Central Service Class I (Gazetted) (Non-Ministerial)	General Central Service Class I (Gazetted, Non-Ministerial)
4. Scale of Pay . .	Rs. 1300—50—1600	Rs. 700—40—1100—50[2—1250.
5. Whether Selection Post or non-Selection Post	Selection	Selection
6. Age for direct recruits	Not Applicable	Not Applicable
7. Educational and other qualifications required for direct recruits.	Not Applicable	Not Applicable
8. Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of Promotees.	Not Applicable	Not Applicable
9. Period of probation, if any	2 years	2 years
10. Method of recrt. whether by direct recrt. or by promotion or by deputation/transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	By Promotion	By Promotion
11. In case of recrt. by promotion/transfer grades from which promotion/deputation/transfer to be made.	*Promotion* : (*i*) Deputy Director with 3 years service in the grade or 7 years service in the grades of Deputy Director and Information Officer/Press Attache combined together, and (*ii*) Information Officer/Press Attache with 7 years service in the grade.	*Promotion* : Assistant Information Officer/Assistant Press Attache with 7 year's service in the grade.
12. If a DPC exists, what is its composition.	Class I Departmental Promotion Committee.	Class I Departmental Promotion Committee.
13. Circumstances in which U. P. S. C. is to be consulted in making recruitment.	As required under the Union Public Service Commission (Exemption from Consultation) Regulations, 1958.	As required under the Union Public Service Commission (exemption from Consultation) Regulations, 1958.

[No. 242/GA/70.]

M. S. NAIR, Dy. Secy.

विदेश मंत्रालय

नई दिल्ली, 23 नवम्बर, 1970

जी० एस० आर० 104.— संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त अधिकारों का तथा इस सम्बन्ध में प्राप्त अन्य सभी अधिकारों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति विदेश मंत्रालय में भारतीय सूचना सेवा के पद पर भरती के तरीकों को नियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, यथा :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ** :—(1) इन नियमों को विदेश मंत्रालय, भारतीय सूचना सेवा, भरती नियम, 1970 की संज्ञा दी जाएगी ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशित होने के दिन से लागू हो जाएंगे ।

2. **विनियोग** :—ये नियम इससे संलग्न अनुसूची के कालम 1 में निर्दिष्ट पद पर लागू होंगे ।

3. **संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान** :—पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान वही होंगे, जो इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कालम 2 से 4 में बताए गए हैं ।

4. **भर्ती का तरीका, आयु सीमा, अर्हताएं आदि** :—उक्त पदों पर भरती का तरीका, आयु सीमा, अर्हताएं तथा तत्सम्बन्धी अन्य बातें वही होंगी जो उक्त अनुसूची के कालम 5 से 13 में बतायी गयी हैं ।

5. **इन पदों को आस्थगित रखने अथवा इन्हें भारतीय विदेश सेवा शाखा (क) या शाखा (ख) में सम्मिलित करने का अधिकार** :—(i) उक्त अनुसूची में सम्मिलित किसी स्थायी अथवा अस्थायी पद को केन्द्रीय सरकार आस्थगित रख सकती है ।

(ii) उक्त अनुसूची में सम्मिलित किसी वर्ग का कोई पद, केन्द्रीय सरकार की इच्छा से भारतीय विदेश सेवा शाखा (क) अथवा भारतीय विदेश सेवा शाखा (ख) के किसी अधिकारी की नियुक्ति से भरा जा सकता है ।

लेकिन केन्द्र सरकार तभी इस विवेक का प्रयोग कर सकेगी जब भारतीय सूचना सेवा के किसी भी ऐसे अधिकारी को, जो उक्त पद पर नियुक्ति के योग्य है, कोई हानि न पहुंचे ।

6. **अयोग्यताएं** :—ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसने किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो या विवाह का विधितः समझौता किया हो, जिसकी पत्नी/पति जीवित हो अथवा (ख) जिसने पत्नी/पति के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया हो या विवाह का विधितः समझौता किया हो, इस सेवा में नियुक्ति के योग्य नहीं होगा ।

लेकिन केन्द्र सरकार यदि इस ओर से आश्वस्त हो कि ऐसे व्यक्ति पर और उसके साथ विवाह करने वाले दूसरे पक्ष पर लागू होने वाले व्यक्तिगत नियमों के अन्तर्गत इस तरह के विवाह की अनुमति दी जा सकती है, और ऐसा करने के दूसरे आधार भी हों, तो वह किसी भी व्यक्ति को इस नियम के बन्धन से छूट दे सकती है ।

7. **ढील देने का अधिकार** :—जहां केन्द्र सरकार यह समझे कि इन नियमों को किसी भी अवस्था में ढील देना आवश्यक या उचित होगा, वहां वह ऐसा करने के कारण लिखित रूप से दर्ज करके और संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से किसी वर्ग या श्रेणी के व्यक्तियों के सम्बन्ध में आदेश देकर इन नियमों की किसी भी व्यवस्था में ढील दे सकती है।

अनुसूची

	1	2
1. पद का नाम	निदेशक, भारतीय सूचना सेवा/ निदेशक मुख्यालय में प्रेस सम्पर्क/विदेश स्थित मिशनों में जन सम्पर्क अधिकारी	मुख्यालय में सूचना अधिकारी/ विदेश स्थित मिशनों में प्रेस सहचारी
2. पदों की संख्या		20
3. वर्गीकरण	सामान्य केन्द्रीय सेवा श्रेणी I (राजपत्रित) (अमंत्रालयी)	सामान्य केन्द्रीय सेवा श्रेणी I (राजपत्रित) (अमंत्रालयी)
4. वेतनमान	1300—60—1600 रुपये	700—40—1100—50—2—1250 रु०
5. प्रवरण पद है या अप्रवरण	प्रवरण	प्रवरण
6. सीधी भरती के लिए आयु	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
7. सीधी भरती के लिए शैक्षिक एवं अन्य अर्हताएं	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
8. सीधी भरती वालों के लिए निर्धारित आयु तथा शैक्षिक अर्हताएं क्या पदोन्नति पाने वालों पर भी लागू होंगी	नहीं	नहीं
9. परीक्षा की अवधि यदि कोई हो	दो वर्ष	दो वर्ष
10. भरती का तरीका:— सीधी भरती या पदोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति या स्थानान्तरण और विभिन्न तरीकों से भरे जाने वाले पदों के प्रतिशत द्वारा	पदोन्नति द्वारा	पदोन्नति द्वारा

	1	2
11. पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति अथवा स्थानान्तरण द्वारा भरती की स्थिति में वे वर्ग जिनमें पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति अथवा स्थानान्तरण किया जाना हो।	**पदोन्नति** (i) इस वर्ग में तीन वर्ष की सेवा सहित उप निदेशक अथवा उप निदेशक और सूचना अधिकारी/प्रेस सहचारी के रूप म संयुक्त 7 वर्षों की सेवा और (ii) सूचना अधिकारी/प्रेस सहचारी के वर्ग में 7 वर्षों की सेवा	सहायक सूचना सेवा अधिकारी/सहायक प्रेस सहचारी के वर्ग में 7 वर्षों की सेवा
12. यदि विभागीय पदोन्नति समिति है तो उसका स्वरूप क्या है	विभागीय पदोन्नति समिति प्रथम श्रेणी	विभागीय पदोन्नति समिति प्रथम श्रेणी
13. वे स्थितियां जिनमें संघ लोक सेवा आयोग से भरती करने के लिए परामर्श किया जाता है।	जैसा कि संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श से छूट) अधिनियम 1958 द्वारा अपेक्षित है।	जैसा कि संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श से छूट) 1958 द्वारा अपेक्षित है।

[सं० 242/जी०ए०/70]

एम० एस० नायर,
अवर सचिव, ।

MINISTRY OF FOOD, AGRICULTURE, COMMUNITY DEVELOPMENT AND CO-OPERATION

(Department of Food)

New Delhi, the 18th January 1971

G.S.R. 105.—Whereas certain rules further to amend the Rice Milling Industry (Regulation and Licensing) Rules, 1959, were published as required by sub-section (1) of section 22 of the Rice Milling Industry (Regulation) Act, 1958 (21 of 1958) at page 1593 of the Gazette of India, Part II Section 3, sub-section (i), dated the 2nd May, 1970, under the notification of the Government of India in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Department of Food) No. G.S.R. 713, dated the 27th April, 1970, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby till the 1st June, 1970;

And whereas the said Gazette was made available to the public on the 8th May, 1970;

And whereas certain suggestions have been received from the State Governments and the public:

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 22 of the Rice Milling Industry (Regulation) Act, 1958 (21 of 1958), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Rice Milling Industry (Regulation and Licensing) Rules, 1959, namely:—

1. (1) These rules may be called the Rice Milling Industry (Regulation and Licensing) Amendment Rules, 1971.

(2) They shall come into force on the 23rd day of January, 1971.

2. In rule 6 of the Rice Milling Industry (Regulation and Licensing) Rules, 1959, in sub-rule (2), after clause (f), the following clause shall be inserted, namely:—

"(g) Fixed deposit in a Co-operative Central Bank, the deposit receipt being pledged and handed over to the Licensing Officer".

[No. 209(AP)(1)/35/70-PY.II.]

D. N. PRASAD, Dy. Secy.

खाद्य, कृषि सामुदायिक विकास तथा सहकारिता मंत्रालय

(खाद्य विभाग)

नई दिल्ली, 18 जनवरी 1971

सा०का०नि० 105.—यतः धान कुटाई उद्योग (विनियमन और अनुज्ञापन) नियम 1959 में और आगे संशोधन करने के लिये कतिपय नियम धान कुटाई उद्योग (विनियमन) अधिनियम 1958 (1958 का 21) की धारा 22 की उपधारा (1) द्वारा यथापेक्षित भारत के राजपत्र तारीख 2 मई, 1970, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में पृष्ठ 1593 (अंग्रेजी) पर भारत सरकार के खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकारिता मंत्रालय (खाद्य विभाग) की अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 713 तारीख 27 अप्रैल, 1970 के अधीन एतद्द्वारा संभायतः प्रभावित होने वाले व्यक्तियों से आक्षेप और आमंत्रित करते हुए प्रकाशित किए गए थे ;

और यतः उक्त राजपत्र जनता को 8 मई 1970 उपलब्ध करा दिया गया था

और यतः राज्य सरकारों और जनता से कतिपय सुझाव प्राप्त हुए हैं ;

अतः अब धान कुटाई उद्योग (विनियमन) अधिनियम, 1958 (1958 का 21) की धारा 22 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा धान कुटाई उद्योग (विनियमन और अनुज्ञापन) नियम 1959 में और आगे संशोधन करने के लिये निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात:—

1. (1) ये नियम धान कुटाई उद्योग (विनियमन और अनुज्ञापन) संशोधन नियम 1971 कहे जा सकेंगे ।

(2) ये 23 जनवरी, 1971 के दिन को प्रवृत्त होंगे ।

2. धान कुटाई उद्योग (विनियमन और अनुज्ञापन) नियम 1959 के नियम 6 में उपनियम (2) में खंड (च) के पश्चात निम्नलिखित खण्ड अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात :—

"(छ) सहकारी केन्द्रीय बैंकों में आवधिक निक्षेप, निक्षेप रसीद अनुज्ञापन अधिकारी को गिरवी रखी गई और सौंपी गई" ।

[सं० 209 (ए० पी०) (1)/35/170—पी० वाई०—I]

डी० एन० प्रसाद, उप सचिव ।

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi, the 16th January 1971

G.S.R. 106.—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 1 of the Registration of Births and Deaths Act, 1969 (18 of 1969), the Central Government hereby appoints the 1st April, 1971, as the date on which the said Act shall come into force in the whole of the Union Territory of Andaman and Nicobar Islands.

[No. 1-1(Enf.)/70-VS.]

A. CHANDRA SEKHAR, Jt. Secy.

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, 16 जनवरी 1971

जी०एस०आर० 106.—जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 (1969 का 18) की धारा (1) की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा प्रथम अप्रैल 1971 को ऐसी तारीख के रूप में नियत करती है जिसको उक्त अधिनियम अन्डमान और निकोबार द्वीप समूह के सम्पूर्ण संघ राज्य क्षेत्र में प्रवृत्त होगा।

[सं० 1-1 (ई०एन०एफ०)/70-वी० एस०]

ए० चन्द्रशेखर, संयुक्त सचिव।

DEPARTMENT OF COMPANY AFFAIRS

(Company Law Board)

New Delhi, the 12th January 1971

G.S.R. 107.—In exercise of the powers conferred by the proviso to sub-section(1) of Section 594 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956) read with the Government of India, Ministry of Finance, Department of Company Affairs and Insurance, Notification No. G.S.R. 72 dated the 1st January, 1966 and in partial modification of the Notification of the Government of India, Ministry of Finance (Department of Company Law Administration) S.R.O. 3216 dated the 4th October, 1957, (hereinafter referred to as "the Notificatoin"), the Company Law Board hereby directs that in the case of The Goalundo Ice Company Limited, (hereinafter referred to as "the Company"), being a foreign company, the requirements of clause (a) of sub-section (1) of the said Section 594 as modified in their application to a foreign company by the notification shall apply subject to the following further exceptions and modifications, namely:—

It shall be deemed to be sufficient compliance with the provisions of clause (a) of sub-section (1) of the said Section 594 if in respect of the financial year ended the 31st March, 1970, the company submits to the appropriate Registrar of Companies in India in triplicate the world accounts and the documents under section 594(1) of the Companies Act, 1956 as soon as these are available.

[No. F. 14/14/CL. VI/70.]

By order of the Company Law Board.

H. D. PANJWANI, Under Secy.

कम्पनी कार्य विभाग

नई दिल्ली, 12 जनवरी, 1971

सा० का० नि० 107 :—भारत सरकार के वित्त मंत्रालय, कम्पनी कार्य एवं बीमा विभाग की अधिसूचना सा० का० नि० 72, तारीख पहली जनवरी, 1966 के साथ पठित, कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 594 की उपधारा (1) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (कम्पनी विधि प्रशासन विभाग) की अधिसूचना सं० सा० का० नि० आ० 3216 तारीख 4 अक्तूबर, 1957 की अधिसूचना (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'अधिसूचना' कहा गया है) में आंशिक उपान्तर करते हुए, कम्पनी विधि बोर्ड एतद्द्वारा यह निदेश देता है कि गोलन्डी आइस कम्पनी लि० (जिसे इसमें इसके पश्चात् "कम्पनी" कहा गया है) के मामले में, जो एक विदेशी कम्पनी है, उक्त धारा 594 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) की अपेक्षायें, जैसी कि वे किसी विदेशी कम्पनी को अपने लागू होने के सम्बन्ध में अधिसूचना द्वारा उपान्तरित की गई हैं, निम्नलिखित अन्य अपवादों तथा उपान्तरणों के अध्यधीन रहते हुए लागू होंगी; अर्थात् :—

यदि 31 मार्च 1970 तक की वित्तीय वर्ष समाप्ति की बाबत कम्पनी भारत में समुचित कम्पनी रजिस्ट्रार को, विश्व लेखा एवं कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 594(1) के अन्तर्गत प्रलखों की तीन प्रतियां यथा शीघ्र उपलब्ध होने पर प्रस्तुत करें तो उक्त धारा 594 की उप धारा (1) के खण्ड (क) के उपबंधों का पर्याप्त अनुपालन हुआ समझा जायेगा ।

[सं० फा० 14/14/सी० एल० 6/70]

कम्पनी विधि बोर्ड के आदेश से,

एच० डी० पंजवानी,

अवर सचिव, कम्पनी विधि बोर्ड ।

MINISTRY OF LABOUR, EMPLOYMENT AND REHABILITATION

(Department of Labour and Employment)

New Delhi, the 4th January 1971

G.S.R. 108.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend further the Mica Mines Labour Welfare Fund (Class III and IV posts) Recruitment Rules, 1967, namely:—

1. (1) These rules may be called the Mica Mines Labour Welfare Fund (Class III and IV posts) Recruitment (Second Amendment) Rules, 1970.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.

2. In the Schedule to the Mica Mines Labour Welfare Fund (Class III and IV posts) Recruitment Rules 1967, against item 12 in Part III, for the entries in column 9, the following entry shall be substituted, namely:—

"*Age*
No
Qualifications
Yes"

[No. 2/36/68-M-III.]

New Delhi, the 7th January 1971

G.S.R. 109.—The following draft of certain rules to amend the Coal Mines Labour Welfare Fund Rules, 1949, which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by section 10 of the Coal Mines Labour Welfare Fund Act, 1947 (32 of 1947), is published as required by sub-section (1) of the said section, for the information of all persons likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft will be taken into consideration on or after 27th February, 1971.

Any objections or suggestions which may be received from any person in respect of the said draft before the date so specified will be considered by the Central Government.

Draft Amendments

1. These rules may be called the Coal Mines Labour Welfare Fund (Amendment) Rules, 1971.

2. In the Coal Mines Labour Welfare Fund Rules, 1949, in sub-rule (1) to rule 6, clauses (iv) and (v) shall be renumbered as clauses (v) and (vi), respectively and before clause (v) so renumbered, the following clause shall be inserted, namely:—

"(v) the Executive Engineer, Dhanbad Central Division Central Public Works Department, Dhanbad.".

[No. 3/3/70-M.II.]

C. R. NAIR, Under Secy.

(श्रम और रोजगार विभाग)

नई दिल्ली, 7 जनवरी 1971

सा० का० नि० 109.—कोयला खान श्रम कल्याण निधि नियम, 1949 में संशोधन करने के लिए कतिपय नियमों का निम्नलिखित प्रारूप जिन्हें केन्द्रीय सरकार कोयला खान श्रम कल्याण निधि अधिनियम, 1947 (1947 का 32) की धारा 10 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाने की प्रस्थापना करती है, उक्त धारा की उपधारा (1) द्वारा यथा अपेक्षित, उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है जिनका तद्द्वारा प्रभावित होना संभाव्य है, और एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप पर 27 फरवरी 1971 को या उसके पश्चात् विचार किया जायगा।

उक्त प्रारूप के बारे में जो आक्षेप या सुझाव किसी व्यक्ति से ऐसी विनिर्दिष्ट तारीख से पूर्व प्राप्त होंगे उन पर केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।

प्रारूप संशोधन

1. ये नियम कोयला खान श्रम कल्याण निधि (संशोधन) नियम, 1971 कहे जा सकेंगे।

2. कोयला खान श्रम कल्याण निधि नियम, 1949 में, नियम 6 के उपनियम (1) में, खण्ड (iv) और (v) को क्रमशः खण्ड (v) और (vi) के रूप में पुनः संख्यांकित किया जाएगा और इस प्रकार पुनः संख्यांकित खण्ड (v) के पूर्व निम्नलिखित खण्ड अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(iv) कार्यकारी इंजीनियर, धनबाद केन्द्रीय डिवीजन, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, धनबाद"

[सं० 3/3/70-एम० 2]

सी० आर० नायर,
अवर सचिव।

(श्रम और रोजगार विभाग)

शुद्धि पत्र

नई दिल्ली, तारीख 15 जनवरी, 1971

जी० एस० आर० 110:— भारत के राजपत्र, तारीख 5 दिसम्बर, 1970 भाग 2, खण्ड 3—उपखण्ड (i) में पृष्ठ 4458 पर प्रकाशित भारत सरकार के श्रम, रोजगार और पुनर्वास मंत्रालय (श्रम और रोजगार विभाग) की अधिसूचना संख्या 11(14)/70—एल० डब्ल्यू 7(1) कांट, संख्या सा० का० नि० 1755 में ऊपर से पांचवीं पंक्ति में "31 अक्टूबर, 1970" के स्थान पर "30 नवम्बर, 1970" पढ़िए ।

[संख्या 11/14/70—एल० डब्ल्यू०—1 कांट]

के० डी० हजेला,
अवर सचिव ।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue and Insurance)

CUSTOMS AND CENTRAL EXCISE

New Delhi, the 23rd January 1971

G.S.R. 111.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 75, read with sub-section (3) of section 160, of the Customs Act, 1962 (52 of 1962) and section 37 of the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Customs and Central Excise Duties Export Drawback (General) Rules, 1960, namely:—

1. These rules may be called the Customs and Central Excise Duties Export Drawback (General) 4th Amendment Rules, 1971.

2. In the First Schedule to the Customs and Central Excise Duties Export Drawback (General) Rules, 1960, for Serial No. 92 and the entries relating the following shall be substituted, namely:—

"92 Aluminium Conductors Steel reinforced.	Rs. 135.00 per tonne of steel content and Rs. 1,270 per tonne of Aluminium content."

[No. 4/F. No. 600/49/70-DBK.]

वित्त मंत्रालय

(राजस्व और बीमा विभाग)

सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पादन शुल्क

नई दिल्ली, 23 जनवरी, 1971

सा० का० नि० 111:—सीमा शुल्क अधिनियम 1962 (1962 का 52) की धारा 160 की उपधारा (3) के साथ पठित धारा 75 की उपधारा (2) और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 37 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शल्क निर्यात वापसी (साधारण) नियम, 1960 में और आगे संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:—

1. ये नियम सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क निर्यात वापसी (साधारण) 4 थी संशोधन नियम 1970 कहे जा सकेंगे।

2. सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शल्क निर्यात वापसी (साधारण) नियम, 1960 में क्रम संख्या 92 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात :—

"92 इस्पात प्रबलित एलमिनियम चालक	इस्पात अन्तर्वस्तु के प्रति टन के लिए 135.00 रु० और एलुमिनियम अन्तर्वस्तु के प्रति टन के लिए 1270.00 रु०"

[सं० 4/फा० सं० 600/49/70-डी० बी० के०]

G.S.R. 112.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 75, read with sub-section (3) of section 160, of the Customs Act, 1962 (52 of 1962) and section 37 of the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), the Centarl Government hereby makes the following rules further to amend the Customs and Central Excise Duties Export Drawback (General) Rules, 1950, namely:—

1. These rules may be called the Customs and Central Excise Duties Export Drawback (General) 5th Amendment Rules, 1971.

2. In the First Schedule to the Customs and Central Excise Duties Export Drawback (General) Rules, 1960, in Serial No. 22, for item (1) and the entries relating thereto, the following shall be substituted:—

"22. (1) (a)	Synthetic Enamel (white)	Eighty-nine paise per litre."
(b)	Synthetic Enamel (coloured)	Forty paise per litre."

[No. 5/F. No. 600/8/70-DBK.]

V. R. SONALKAR, Dy. Secy.

सा० का० नि० 112;—सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 160 की उपधारा (3) के साथ पठित धारा 75 की उपधारा (2) और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 37 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निर्यात वापसी (साधारण) नियम, 1960 में और आगे संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. ये नियम सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क निर्यात वापसी (साधारण) 4 थी संशोधन नियम 1971 कहे जा सकेंगे ।

2. सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निर्यात वापसी (साधारण) नियम, 1960 की प्रथम अनुसूची में मद सं० 22 में मद (1) और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा अर्थात् :—

"22 (1) (क) संश्लिष्ट इनैमल (सफ़ेदा)	नवासी पैसे प्रति लिटर
(ख) संश्लिष्ट इनैमल (रंगीन)	चालीस पैसे प्रति लिटर

[सं० 5/एफ० स० 600/8/70 डी० वी० के०]

वि० आर० सोनालकर,
उप सचिव, भारत सरकार ।

(Department of Revenue and Insurance)

CENTRAL EXCISES

New Delhi, the 23rd January 1971

G.S.R. 113.—In exercise of the powers conferred by sub-rule (2) of rule 191-B of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 53/59-Central Excises (G.S.R. 546), dated the 9th May, 1959, namely:—

In the Table annexed to the said notification, after Serial Number 11 and the entries relating thereto, the following shall be inserted, namely:—

Sl. No.	Articles for manufacture in bond.	Excisable goods for manufacture of articles specified in column 2.
"12.	Diesel welding sets mounted on trailers	Internal combustion engines and trailers falling under Item No. 34 of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944."

[No. 7/71-C.E.—F. No. 60/25/70-CX8.]

K. L. MUKHERJI, Under Secy.

नई दिल्ली, दिनांक 23 जनवरी, 1971

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

सा०का०नि० 113:—केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के नियम 191-ख के उपनियम (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्रीय सरकार एतद्द्वारा भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं० 53/59-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (सा० का० नि० 546) तारीख 9 मई 1959 में और आगे निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना से उपाबद्ध सारणी में क्रम संख्या 11 और तत्संबंधी प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाएगा अर्थात्:—

क्रम संख्या	बन्धकाधीन विनिर्मित किए जाने के लिए वस्तुएं	स्तंभ 2 में विनिर्दिष्ट वस्तुओं के विनिर्माण के लिए उत्पाद शुल्क योग्य माल
1	2	3
"12	ट्रैलरों पर आरूढ़ डीजल बैल्डिंग सट	अन्तर्दहन इंजन और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 की प्रथम अनुसूची की मद संख्या 34 के अन्तर्गत आने वाले "टेलर"।

[सं० 7/71/के० उ० शु० फ० सं० 60/25/70-सी एक्स 8]

के० एल० मुखर्जी,
अवर सचिव।

CENTRAL BOARD OF EXCISE AND CUSTOMS

CUSTOMS

New Delhi, the 23rd January 1971

G.S.R. 114.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 146 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Board of Excise and Customs hereby makes the following regulations further to amend the Custom House Agents Licensing Regulations, 1965, namely:—

1. (1) These regulations may be called the Custom House Agents Licensing (Amendment) Regulations, 1971.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Custom House Agents Licensing Regulations, 1965 (hereinafter referred to as the said regulations), in regulation 4, for the words "Assistant Collector of Customs", the words "Collector of Customs" shall be substituted.

3. In regulation 6 of the said regulations—

(a) in the opening paragraph, for the word "application", the word "applicant" shall be substituted;

(b) for the words "Assistant Collector of Customs" occurring in both the places, the words "Collector of Customs" shall be substituted.

4. In regulation 7 of the said regulations, for the words "Assistant Collector of Customs", the words "Collector of Customs" shall be substituted.

5. In regulation 8 of the said regulations,—

(a) after the word "granted", the word and figures "under regulation 11" shall be inserted;

(b) for the words "Assistant Collector of Customs", the words "Collector of Customs" shall be substituted.

6. In regulations 9 and 10 of the said regulations, for the words "Assistant Collector of Customs" wherever they occur, the words "Collector of Customs" shall be substituted.

7. For regulation 11 of the said regulations, the following regulation shall be substituted, namely:—

"11 *Grant of licence.*—Where the application of an applicant is not rejected under regulation 10, the Collector of Customs shall grant the applicant a licence in Form 'B' on payment of a fee of Rs. 50:

Provided that the Collector of Customs may, having regard to the experience, knowledge and suitability of the applicant, permit him to act as a Custom House Agent for the clearance only of such imports or exports as may be specified in the licence.".

8. In regulations 12 and 13 of the said regulations, for the words "Assistant Collector of Customs" wherever they occur, the words "Collector of Customs" shall be substituted.

9. For regulation 14 of the said regulations, the following regulation shall be substituted, namely:—

"14. *Grant of restricted licence.*—Where an applicant applies for a licence to do the business of clearing the goods of a particular importer or exporter or a number of importers or exporters having common ownership, control or management and the Collector of Customs is satisfied that the applicant is likely to give more efficient or economical service, he may grant a restricted licence to such applicant on payment of a fee of Rs. 50 for a specified period to act as a Custom House Agent".

10. In regulation 16 of the said regulations,—

(a) in clause (k), for the words "maintain accounts", the words "maintain records and account" shall be substituted;

(b) in clause (n), for the words "Assistant Collector of Customs", the words "Collector of Customs" shall be substituted.

11. In regulation 17 of the said regulations, for the words "Assistant Collector of Customs", the words "Collector of Customs" shall be substituted.

12. In regulation 18 of the said regulations,—

(a) after the word "firm" wherever it occurs, including the marginal heading, the words "or concern" shall be inserted;

(b) for the words "Assistant Collector of Customs" occurring in both the places, the words "Collector of Customs" shall be substituted;

(c) the following Explanation shall be inserted at the end, namely:—

"*Explanation.*—In this regulation and in regulation 19, the expression "concern" does not include a company.".

13. For regulation 19 of the said regulations, the following regulation shall be substituted, namely:—

"19. *Change in constitution of a concern or firm.*—Notwithstanding the provisions of regulations 18,—

(a) where a licence granted or renewed under these regulations in favour of a person ceases to be in force because of the death of

that person, his legal heir who has been employed as a clerk under regulation 23 may be granted a licence, if there is nothing adverse against him and if he is found suitable in all respects by the Collector of Customs;

(b) where a licence granted or renewed under these regulations in favour of a firm ceases to be in force because of the death of a partner and the partnership deed provides that the firm will continue with the surviving partners, with or without the legal heir of the deceased who has been employed as a clerk under regulation 23, a licence may be granted to such firm, if there is nothing adverse against the firm and its partners and if they are found suitable in all respects by the Collector of Customs;

(c) when a firm or concern to which a licence has been granted or renewed under these regulations requests change in the constitution thereof for taking as partner a person who has been employed under regulation 23 as a clerk in the firm or concern for a period not less than five years immediately preceding the date of such request, such change may be approved by the Collector of Customs, if there is nothing adverse against such person and if he is found suitable in all respects by the Collector of Customs.".

14. In regulation 21 of the said regulations, in sub-regulation (2), for the words "such books and papers shall be kept on file", the words "records and accounts required to be maintained under these regulations shall be preserved" shall be substituted.

15. In regulation 24 of the said regulations,—

(a) for the marginal heading, the following marginal heading shall be substituted, namely:—

"Suspension or revocation of licence";

(b) in sub-regulation (3), for the proviso, the following proviso shall be substituted, namely:—

"Provided that where—

(a) an appeal is filed under section 128, or

(b) an application for revision is made under section 130 or section 131, the period between the date of filing the appeal or making the application for revision, as the case may be, and the date of disposal of such appeal or revision shall be excluded in computing the said period of ninety days.";

(c) sub-regulation (4) shall be omitted.

16. Regulation 28 of the said regulations shall be omitted.

17. In the Forms appended to the said regulations,—

(a) in Forms B, C and D, for the words "Assistant Collector of Customs" wherever they occur, the words "Collector of Customs" shall be substituted;

(b) Form H shall be omitted.

[No. 16/F. No. 28/25/68-Cus-VI.]

J. DATTA, Secy.

केन्द्रीय उत्पादन शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड

(सीमा शुल्क)

नई दिल्ली, दिनांक 23 जनवरी, 1971

का० नि० ग्रा० 114[—सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 146 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड एतद्द्वारा सीमा शुल्क गृह अभिकर्ता अनुज्ञापन विनियम, 1965 में और आगे संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है अर्थात् :—

1. (1) ये विनियम सीमा शुल्क गृह अभिकर्ता अनुज्ञापन (संशोधन) विनियम, 1971 कहे जा सकेंगे।

(2) ये शासकीय राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. सीमा शुल्क गृह अभिकर्ता अनुज्ञापन विनियम, 1965 (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् उक्त विनियम कहा गया है) में विनियम 4 में "सहायक सीमा शुल्क कलक्टर" शब्दों के स्थान पर "सीमा शुल्क कलक्टर" शब्द प्रतिस्थापित किये जाएंगे।

3. उक्त विनियमों के विनियम 6 में,—

(क) प्रारंभिक पैरा में "आवेदन" शब्द के स्थान पर "आवेदक" शब्द प्रतिस्थापित किया जाएगा,

(ख) दोनों स्थानों पर आने वाले "सहायक सीमा शुल्क कलक्टर" शब्दों के स्थान पर "सीमा शुल्क कलक्टर" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

4. उक्त विनियमों के विनियम 7 में "सहायक सीमा शुल्क कलक्टर" शब्दों के स्थान पर "सीमा शुल्क कलक्टर" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

5. उक्त विनियमों के विनियम 8 में,—

(क) "सीमा शुल्क गृह में" शब्दों के पश्चात् "विनियम 11 के अधीन" शब्द अन्तःस्थापित किये जाएंगे।

(ख) "सहायक सीमा शुल्क कलक्टर" शब्दों के स्थान पर "सीमा शुल्क कलक्टर" शब्द प्रतिस्थापित किये जाएंगे।

6. उक्त विनियमों के विनियम 9 और 10 में, "सहायक सीमा शुल्क कलक्टर" शब्दों के वे जहां कहीं भी आएं, स्थान पर "सीमा शुल्क कलक्टर" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

7. उक्त विनियमों के विनियम 11 के स्थान पर निम्नलिखित विनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"11. अनुज्ञप्ति का दिया जाना जहां किसी आवेदक के आवेदन को विनियम 10 के अधीन रद्द न कर दिया गया हो, वहां सीमा शुल्क कलक्टर आवेदक को 50/- रुपये की फीस के संदाय पर प्ररूप 'ख' में अनुज्ञप्ति देगा :

परन्तु कलक्टर आवेदक के अनुभव, ज्ञान और उपयुक्तता का ध्यान रखते हुए केवल ऐसे आयात या निर्यात जैसा कि अनुज्ञप्ति में विनिर्दिष्ट किया जाए की निकासी के लिये उसे सीमा शुल्क गृह अभिकर्ता के रूप में कार्य करने के लिए अनुज्ञात कर सकता है।"

8. उक्त विनियमों के विनियम 12 और 13 में "सहायक सीमा शुल्क कलक्टर" शब्दों के स्थान पर वे जहां कहीं भी आएं, "सीमा शुल्क कलक्टर" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

9. उक्त विनियमों के विनियम 14 के स्थान पर निम्नलिखित विनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"14. **निर्बन्धित अनुज्ञप्ति का दिया जाना,—**
जहां आवेदक किसी आयातकर्ता या निर्यातकर्ता विशेष या सामान्य स्वामित्व नियंत्रण या प्रबन्ध वाले बहुत से आयातकर्ताओं या निर्यातकर्ताओं के माल की निकासी का कारबार करने के हेतु अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन करता है और सीमा शुल्क कलक्टर का समाधान हो जाता है कि आवेदक द्वारा अधिक दक्ष या किफायती सेवा की जाने की संभावना है वहां वह ऐसे आवेदक को 50/— रुपए की फीस के संदाय पर विनिर्दिष्ट अवधि के लिए सीमा शुल्क गृह अभिकर्ता के रूप में निर्बन्धित अनुज्ञप्ति दे सकता है।"

10. उक्त विनियमों के विनियम 16 में,—

(क) खण्ड (ट) में "हिसाब रखेगा" शब्दों के स्थान पर "लेखा और हिसाब रखेगा" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

(ख) खण्ड (द) में "सहायक सीमा शुल्क कलक्टर" शब्दों के स्थान पर "सीमा शुल्क कलक्टर" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

11. उक्त विनियमों के विनियम 17 में, "सहायक सीमा शुल्क कलक्टर" शब्दों के स्थान पर "सीमा शुल्क कलक्टर" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

12. उक्त विनियमों के विनियम 18 में,—

(क) "फर्म" शब्द के वह जहां कहीं भी आता हो जिसमें हाशिया शीर्षक सम्मिलित है, पश्चात् "या समुत्थान" शब्द अन्तःस्थापित किए जाएंगे;

(ख) दोनों स्थानों पर आने वाले "सहायक सीमा शुल्क कलक्टर" शब्दों के स्थान पर "सीमा शुल्क कलक्टर" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

(ग) अन्त में निम्नलिखित स्पष्टीकरण अन्तःस्थापित किया जाएगा अर्थात्:—
"**स्पष्टीकरण**—इस विनियम और विनियम 19 में "समुत्थान" पद में कम्पनी सम्मिलित नहीं है।"

13. उक्त विनियमों के विनियम 19 के स्थान पर निम्नलिखित विनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"19. **किसी समुत्थान या फर्म के गठन में परिवर्तन**—

विनियम 18 के उपबन्धों के होते हुए भी,—

(क) जहां इन विनियमों के अधीन किसी को दी गई या नवीकृत अनुज्ञप्ति उस व्यक्ति की मृत्यु के कारण प्रवर्तन में नहीं रहती वहां उसके विधिक वारिस को जिसे विनियम 23 के अधीन क्लर्क के रूप में नियोजित किया गया है यदि उसके खिलाफ कोई प्रतिकूल बात न हो और यदि उसे सीमा शुल्क कलक्टर द्वारा सर्वथा उपयुक्त पाया जाए अनुज्ञप्ति दी जा सकेगी।

(ख) जहां इन विनियमों के अधीन किसी फर्म को दी गई या नवीकृत अनुज्ञप्ति किसी भागीदार की मृत्यु के कारण प्रवर्तन में नहीं रहती, और भागीदारी विलेख में यह उपबन्ध किया गया है कि फर्म उत्तरजीवी भागीदारों सहित मृतक के विधिक वारिस सहित या उसके बिना जिसे विनियम 23 के अधीन क्लर्क के रूप में नियोजित किया गया है, यदि फर्म और उसके भागीदारों के विरुद्ध कोई प्रतिकूल बात न हो और यदि उन्हें सीमा शुल्क कलक्टर द्वारा सर्वथा उपयुक्त पाया जाए तो ऐसी फर्म को अनुज्ञप्ति दी जा सकेगी।

(ग) जब कोई फर्म या समुत्थान जिसे इन विनियमों के अधीन अनुज्ञप्ति दी गई या नवीकृत की गई है किसी ऐसे व्यक्ति को जिसे फर्म या समुत्थान में ऐसी प्रार्थना की तारीख से अव्यवहितपूर्व पांच वर्ष से अन्यून की अवधि के लिए विनियम 23 के अधीन क्लर्क के रूप में नियोजित किया गया है, भागीदार के रूप में लेने के लिए उसके गठन में परिवर्तन के लिए, प्रार्थना करता है तो ऐसा परिवर्तन सीमा शुल्क कलक्टर द्वारा उस दशा में अनुमोदित किया जा सकेगा, यदि ऐसे व्यक्ति के खिलाफ कोई प्रतिकूल बात न हो और यदि उसे सीमा शुल्क कलक्टर द्वारा सर्वथा उपयुक्त पाया जाय।"

14. उक्त विनियमों के विनियम 21 में, उपविनियम (2) में "ऐसी पुस्तकें और कागज फाइल में रखे जाएंगे" शब्दों के स्थान पर "इन विनियमों के अधीन बनाए रखे जाने के लिए अपेक्षित अभिलेख और लेखा परिरक्षित रखे जाएंगे" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

15. उक्त विनियमों के विनियम 24 में,—

(क) हाशिया शीर्षक के स्थान पर निम्नलिखित हाशिया शीर्षक प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: —

"अनुज्ञप्ति का निलम्बन या प्रतिसंहरण" ;

(ख) उपविनियम 3 में, परन्तुक के स्थान पर निम्नलिखित परन्तुक प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"परन्तु जहां—

(क) धारा 128 के अधीन अपील फाइल की जाए, या

(ख) धारा 130 या धारा 131 के अधीन पुनरीक्षण के लिए आवेदन दिया जाए वहां नब्बे दिन की उक्त अवधि की संगणना में यथा-स्थिति अपील फाइल करने या पुनरीक्षण के लिए आवदन देन की तारीख से ऐसी अपील या पुनरीक्षण के निपटारे की तारीख के बीच की अवधि अपवर्जित कर दी जाएगी।";

(ग) उपविनियम 4 लुप्त कर दिया जाएगा।

उक्त विनियमों का विनियम 28 लुप्त कर दिया जाएगा।

उक्त विनियमों से संलग्न प्ररूपों में,--

(क) प्ररुप ख, ग, और घ में "सहायक सीमा शुल्क कलक्टर" शब्दों, वे जहां कहीं भी आएं, के स्थान पर "सीमा शुल्क कलक्टर" शब्द प्रतिस्थापित किए जायेंगे ;

(ख) प्ररूप ज लुप्त कर दिया जाएगा।

[सं० 16/फा० सं० 28/25/68-सी०शु०-VI]

ज्योतिर्मय दत्त,
सचिव, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1971